वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2024-2025

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

भारतीय उपचर्या परिषद्

INDIAN NURSING COUNCIL

8वाँ तल, एन.बी.सी.सी. सेंटर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर,
ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre,
Okhla Phase-1, New Delhi-110020

वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025

भारतीय उपचर्या परिषद्

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

विषय-सूची

पृष्ठ

1. भूमिका 5
2. उद्देश्य 5
3. कार्य 5
4. परिषद् का गठन 6
5. संगठनात्मक ढाँचा 7
6. समितियाँ 7
7. राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग 8
8. विदेशी योग्यता की समतुल्यता 8
9. अदालती मामले 9
10. आय के स्रोत 9
11. वर्ष 2024–2025 के दौरान पूरे किए गए क्रियाकलाप 10
    * भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 व 14 के तहत उपयुक्त पाए गए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त उपचर्या स्कूलों तथा उपचर्या कॉलेजों की सूची 10
    * भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत निरीक्षण किए गए कुल नर्सिंग संस्थानों की संख्या 10
    * 31 मार्च, 2025 को भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 व 14 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु उपयुक्त पाए गए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त उपचर्या संस्थानों की कुल संख्या 10
    * 31 मार्च, 2025 को उपचर्या कार्यक्रमों का विभाजन 11
    * 31 मार्च, 2025 को उपचर्या कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन 12
    * 31 मार्च 2025 को नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों की कुल राज्यवार संख्या 13
    * 31 मार्च, 2025 को ए.एन.एम. और जी.एन.एम. कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन 14
    * 31 मार्च, 2025 को बी.एससी. नर्सिंग और एम.एससी. नर्सिंग कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन 15
    * 31 मार्च, 2025 को पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम (पी.बी.डी.पी.) का राज्यवार विभाजन 16
    * 31 मार्च, 2025 को नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.) और एन.पी.एम. एजूकेटर कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन 17
    * उपचर्या संस्थानों की संख्या में कार्यक्रम–वार वृद्धि 18

पृष्ठ

* ऑग्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (ए.एन.एम.) स्कूलों की संख्या में वृद्धि 19
* जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) स्कूलों की संख्या में वृद्धि 20
* बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि 21
* एम.एससी. नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि 22
* भारत में पंजीकृत नर्सों की राज्यवार संख्या 23
* पंजीकृत ए.एन.एम., आर.एन. एवं आर.एम. और महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं की वर्षवार कुल संख्या 24
* राष्ट्रीय संदर्भ सिमुलेशन केंद्र (एनआरएससी) 25
* नेशनल कंसोर्टियम फॉर पी.एचडी. इन नर्सिंग 25
* लीडरशिप फॉर चेंज (एलएफसी) 25
* तदर्थ निरीक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला 26
* भारतीय उपचर्या परिषद् वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org 26
* वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान आईएनसी वेबसाइट पर नर्सिंग शिक्षा से संबंधित प्रकाशित की गईं राजपत्रित अधिसूचनाएं और परिपत्र 27
* वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान आईएनसी वेबसाइट पर सीएनई फॉर इन–सर्विस नर्सेज पर प्रकाशित किए गए ई–लर्निंग मॉड्यूल 27
* ई–ऑफिस और ई–एप्लिकेशन 27
* नर्सों का सांप्रतिक (लाइव) रजिस्टर 27
* वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान राजपत्रित किए गए नर्सिंग कार्यक्रमों का विवरण 28
* अकादमी ऑफ डिजिटल हेल्थ साइंस (एडीएचएस) और भारतीय उपचर्या परिषद् (आईएनसी) के बीच समझौता ज्ञापन 31
* भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा आयोजित बैठकों/कार्यशालाओं पर अद्यदन जानकारी 31
* क्यूसीआई के सहयोग से आईएनसी–क्यूसीआई समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों के गुणवत्ता सुधार हेतु संस्थानों का आंकलन तथा रेटिंग ढांचे का पायलट परीक्षण 31
* एएनएम टु जीएनएम – दो वर्षीय ब्रिज कार्यक्रम का विकास 31
* राजकीय, निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता 32
* जीएनएम और बी.एससी. नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम सीटों की संख्या 32
* भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा आईएनसी अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत विश्वविद्यालयों की पीएच.डी. नर्सिंग योग्यता को मान्यता 32
* भारतीय उपचर्या परिषद् का ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन 32

12. वर्ष 2025–2026 के लिए नियोजित क्रियाकलाप 32

13. हमारे प्रकाशन 33

भूमिका

भारतीय उपचर्या परिषद्, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संसद द्वारा अधिनियमित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947, समूचे देश में उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक और विनियम बनाए रखने के लिए परिषद् को सांविधिक शक्तियां प्रदान करता है।

उद्देश्य

नर्सों, प्रसाविकाओं और स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए प्रशिक्षण का एकसमान स्तर निर्धारित करना।

कार्य

1. नर्सों, प्रसाविकाओं, सहायक नर्स प्रसाविकाओं और स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक स्थापित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के अधीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान में उपलब्ध शिक्षण संकाय, नैदानिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना सुविधाएं भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित विनियमों के समरूप हैं या नहीं।
2. भारत में और विदेशों में पंजीकरण और रोजगार के प्रयोजन के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10(2)(4) के अधीन अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना।
3. भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 के अधीन विभिन्न उपचर्या कार्यक्रमों में शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक तथा उपचर्या कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और विनियम निर्धारित करना।
4. यदि कोई संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(1)(ख) के अधीन निर्धारित स्तर बनाए रखने में असमर्थ रहता है या नर्सों, प्रसाविकाओं, सहायक नर्स प्रसाविकाओं अथवा स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान परिषद् की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो अधिनियम की धारा 14 के अधीन परिषद् को उसकी मान्यता वापिस लेने का अधिकार है।
5. विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र को मान्यता देना।
6. विदेशी अर्हताएं रखने वाले भारतीय तथा विदेशी नर्सों को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 11(2)(क) के अधीन पंजीकरण के लिए मंजूरी देना।
7. भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 15(क) के अधीन उपचर्या कर्मियों के पंजीकरण के लिए भारतीय नर्स रजिस्टर बनाना।
8. देश में उपचर्या शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य उपचर्या परिषदों, परीक्षा बोर्डों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।
9. उपचर्या क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
10. नैतिक संहिता और व्यावसायिक आचरण निर्धारित करना।
11. उपचर्या शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु उपचर्या क्षेत्र में नर्सिंग कार्यक्रमों की नीतियों को विनियमित करना।

परिषद् का गठन

धारा संख्या	धाराओं का विवरण	कुल सदस्यों की संख्या
3(1)(क)	राज्य उपचर्या परिषद् (नर्स)	29
3(1)(ख)	संस्थानों के प्रमुख (विश्वविद्यालय)	2
3(1)(ग)	संस्थानों के प्रमुख (स्वास्थ्य परिदर्शिका)	1
3(1)(घ)	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई)	1
3(1)(ङ)	भारतीय आयुर्विज्ञान संघ (आईएमए)	1
3(1)(च)	भारतीय प्रशिक्षित उपचर्या संघ (टीएनएआई)	1
3(1)(छ)	राज्य उपचर्या परिषद् (मिडवाइफ/एएनएम), बारी–बारी से	4
3(1)(ज)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) – पदेन	1
3(1)(झ)	मुख्य मेट्रन, सेना मुख्यालय – पदेन	1
3(1)(ञ)	नर्सिंग सलाहकार – पदेन	1
3(1)(ट)	मातृत्व निदेशक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी – पदेन	1
3(1)(ठ)	स्वास्थ्य निदेशक/एमई (राज्य)	28
3(1)(ड)	उपचर्या सेवा अधीक्षक	8
3(1)(ढ)	भारत सरकार द्वारा नामित	4
3(1)(ण)	संसद सदस्य	3
कुल योग		**86**

संगठनात्मक ढाँचा

अध्यक्ष
↓
उपाध्यक्ष
↓
सचिव
↓
संयुक्त सचिव
↓
उप–सचिव (2)
↓
अवर सचिव (2)
↓
सहायक सचिव (4)
↓
अन्य स्टाफ सदस्य (34)

परिषद् के पदाधिकारी इस प्रकार हैं :–

डॉ. टी. दिलीप कुमार	अध्यक्ष
डॉ. जोगेन्द्र शर्मा	उपाध्यक्ष

परिषद् के अधिकारी इस प्रकार हैं :–

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर	सचिव
श्रीमती ज्योति बी.	उप–सचिव

समितियाँ

1. **परिषद् की कार्यकारी समिति** – उपचर्या शिक्षा कार्यक्रमों के मानक बनाए रखने से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार–विमर्श करना।
2. **उपचर्या शिक्षा समिति** – उपचर्या शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श करना।
3. **समतुल्यता समिति** – विदेशी अर्हताओं की मान्यता जोकि भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की यथासंशोधित धारा 11(2)(क) अथवा (ख) के अधीन पंजीकरण के प्रयोजन के लिए जरूरी है, से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार–विमर्श करना।
4. **वित्तीय सलाहकार समिति** – क्रय एवं अन्य वित्तीय मुद्दों पर विचार–विमर्श करना।

5. **सतर्कता समिति** – नर्सों द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक मुद्दों पर विचार–विमर्श करना और अनैतिक व्यवहार पालन करने का दोषी पाए जाने पर कार्यवाई की सिफारिश करना।
6. **विभागीय पदोन्नति समिति**
7. **रैगिंग–रोधी (एण्टी–रैगिंग) समिति**
8. विभिन्न उपचर्या कार्यक्रमों के संशोधन के लिए परिषद् द्वारा समय–समय पर विभिन्न उपसमितियों का गठन किया जाता है।
9. **यौन उत्पीड़न निवारण समिति**

राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

विभिन्न राज्यों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर सामान्यतया हिन्दी में ही दिया जाता है। टिप्पणियों और अन्य पत्राचार के साथ–साथ भारतीय उपचर्या परिषद् की वेबसाइट पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी योग्यता की समतुल्यता

1. विदेशी नर्सिंग योग्यता धारक भारतीय नागरिकों के मामलों की अलग–अलग जांच की जाती है और पाठ्यक्रम की जांच तथा सम्बन्धित विदेशी प्राधिकरणों से पुष्टि करा लेने के बाद नर्सों को समतुल्यता समिति की सिफारिश पर भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 11(2)(क) के अधीन भारत में पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की जाती है।
2. ऐसे भारतीय नागरिक जो भारतवर्ष में पंजीकृत उपचर्या तथा प्रसाविका हैं तथा जिन्होंने विदेश से उपचर्या डिग्री प्राप्त की है, को सम्बन्धित राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् में अपनी अतिरिक्त योग्यता पंजीकृत कराने से पहले, भारतीय उपचर्या परिषद् से समतुल्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. विदेशी योग्यता धारक विदेशी नागरिक भी भारतीय उपचर्या परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति से सीमित अवधि तक धर्मार्थ संस्थानों में कार्य कर सकते हैं। समतुल्यता समिति के सदस्यों द्वारा उनके ट्रांस्क्रिप्ट (प्रतिलिपि) का मूल्यांकन/जांच की जाती है और यदि उसे समतुल्य पाया जाता है तो उन्हें भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 11(2)(ख) के अधीन धर्मार्थ संस्थानों में कार्य करने के लिए अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है।
4. यदि विदेशी नागरिक (नेपाली, बंगलादेशी एवं भूटानी सहित) स्वयं अपने देश में पंजीकृत उपचर्या और पंजीकृत प्रसाविका हैं, तो उन्हें भारत में उच्चतर उपचर्या शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जा सकता है अर्थात् उन्हें प्रसूति एवं स्त्री–रोग विभाग को छोड़कर पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग कार्यक्रम तथा एम.एससी. नर्सिंग में प्रवेश दिया जा सकता है। तथापि, उन्हें भारत में व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। यहां तक कि उन्हें अस्थायी पंजीकरण भी प्रदान नहीं किया जाएगा।
   - ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश के लिए एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रवेश अर्हता समतुल्यता अर्थात 12वीं परीक्षा प्राप्त की जाएगी। उपचर्या शैक्षिक संस्थान, राज्य उपचर्या परिषद्, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अर्हता और पात्रता भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा यथानिर्धारित अर्हता और पात्रता के समतुल्य होनी चाहिए।

5. जहां तक पांच अंग्रेजी भाषी देशों (न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, यू.एस.ए., कनाडा, यू.के.) द्वारा भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों (एन.आर.आई.) को प्रदत्त अर्हता का सम्बन्ध है, अभ्यर्थी की अर्हता निम्न शर्तों के अधीन समतुल्य मानी जाएगी :–

- उपर्युक्त अर्हता के साथ अभ्यर्थी को उस देश में व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत नर्स लाइसेंस धारक होना चाहिए।
- यदि एन.आर.आई. अभ्यर्थी पांच अंग्रेजी भाषी देशों से उपचर्या में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करता है तो स्नातकोत्तर अर्हता को तभी उच्चतर अर्हता माना जाएगा, यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से अधिक है और वह एक नियमित पाठ्यक्रम है।

समतुल्यता के लिए वर्ष के दौरान 28 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 21 मामलों में फैसला ले लिया गया।

अदालती मामले

वर्ष 2024–2025 के दौरान भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 147 अदालती मामले पंजीकृत किए गए, जिनमें से 63 मामले निपटा दिए गए।

आय के स्रोत

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (2024–2025)			राशि रुपए में
आय		व्यय	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रकाशनों की बिक्री से आय	12,90,700.00	स्थापना व्यय	6,32,80,036.00
भारत सरकार से अनुदान		अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	18,81,65,760.00
शुल्क	22,69,59,139.00	मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अन्त में निवल योग)	2,56,71,153.00
अर्जित ब्याज	5,23,13,256.00		
अन्य आय	1,29,24,237.00	अन्य व्यय	
तैयारशुदा माल के भण्डार में वृद्धि/(कमी)	2,65,110.00		
योग – क	29,32,22,222.00	योग – ख	27,71,16,948.00
व्यय की तुलना में आय की अधिकता के रूप में शेष (क – ख)			1,61,05,274.00
अधिशेष के रूप में शेष/(घाटा) जिसे कोष/पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया			1,61,05,274.00

वर्ष 2024-2025 के दौरान पूरे किए गए क्रियाकलाप

1. भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 व 14 के तहत उपयुक्त पाए गए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त उपचर्या स्कूलों तथा उपचर्या कॉलेजों की सूची को समय–समय पर अद्यतन कर वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है।

2. **भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत उपचर्या शिक्षा मानकों की समानता रखने के लिए नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं।**

   वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत कुल 3940 उपचर्या संस्थानों का निरीक्षण किया गया जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है :–

कार्यक्रम	योग
ए.एन.एम.	829
जी.एन.एम.	1260
बी.एससी. नर्सिंग	1031
एम.एससी. नर्सिंग	254
पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग	397
नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.)	33
नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एन.पी.एम.)	1
पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम (पी.बी.डी.पी.)	96
पीएच.डी. नर्सिंग	8
उन्नयन (जीएनएम का बी.एससी. नर्सिंग में रूपांतरण)	31

3. **31 मार्च, 2025 को भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 व 14 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु उपयुक्त पाए गए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त उपचर्या संस्थानों की कुल संख्या**

कार्यक्रम	योग
ए.एन.एम.	1941
जी.एन.एम.	3183
बी.एससी. नर्सिंग	2538
पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग	834
एम.एससी. नर्सिंग	771
पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम (पी.बी.डी.पी.)	239
नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.)	68
एन.पी.एम. एजूकेटर	7

31 मार्च, 2025 को उपचर्या कार्यक्रमों का विभाजन

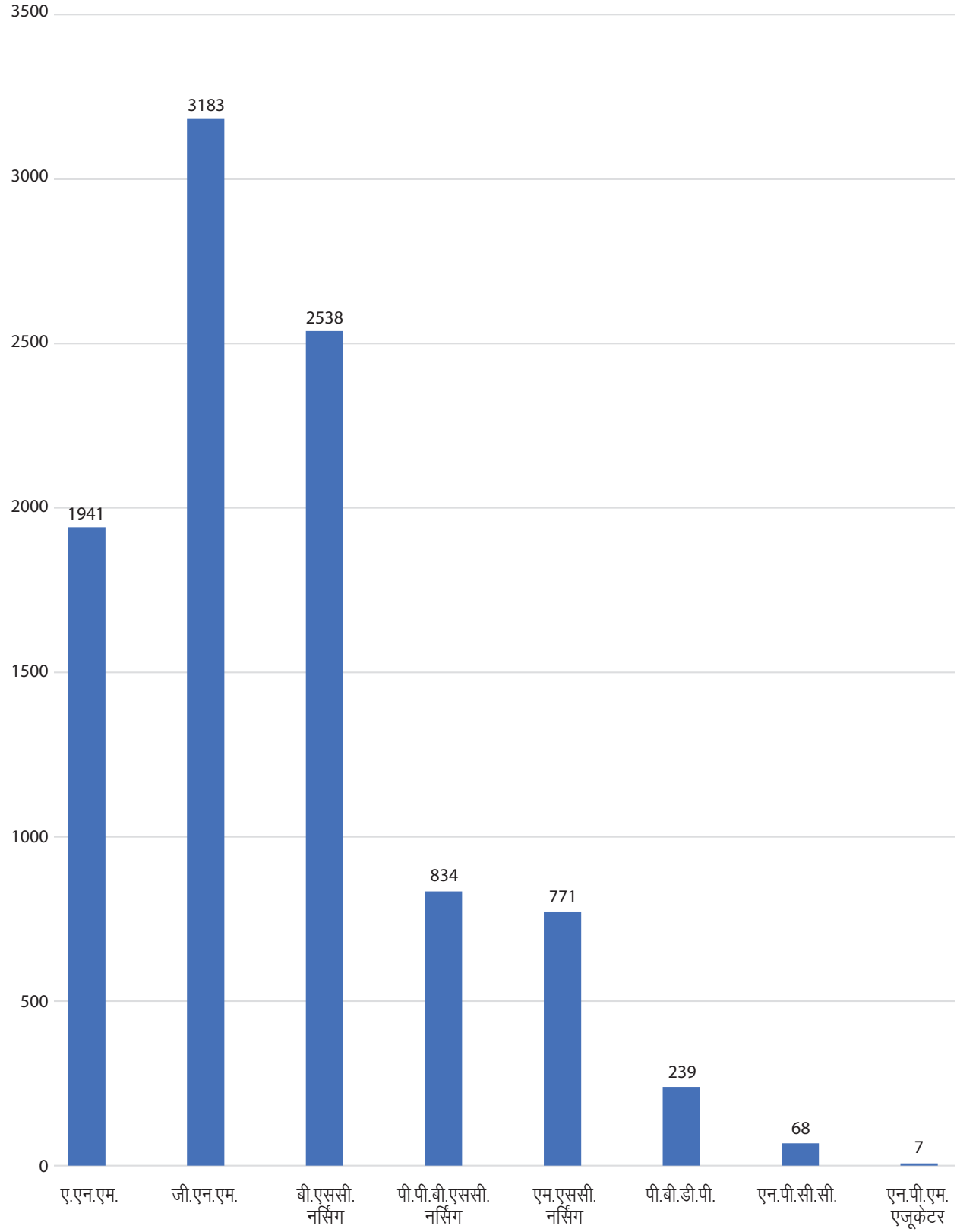

31 मार्च, 2025 को उपचर्या कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन

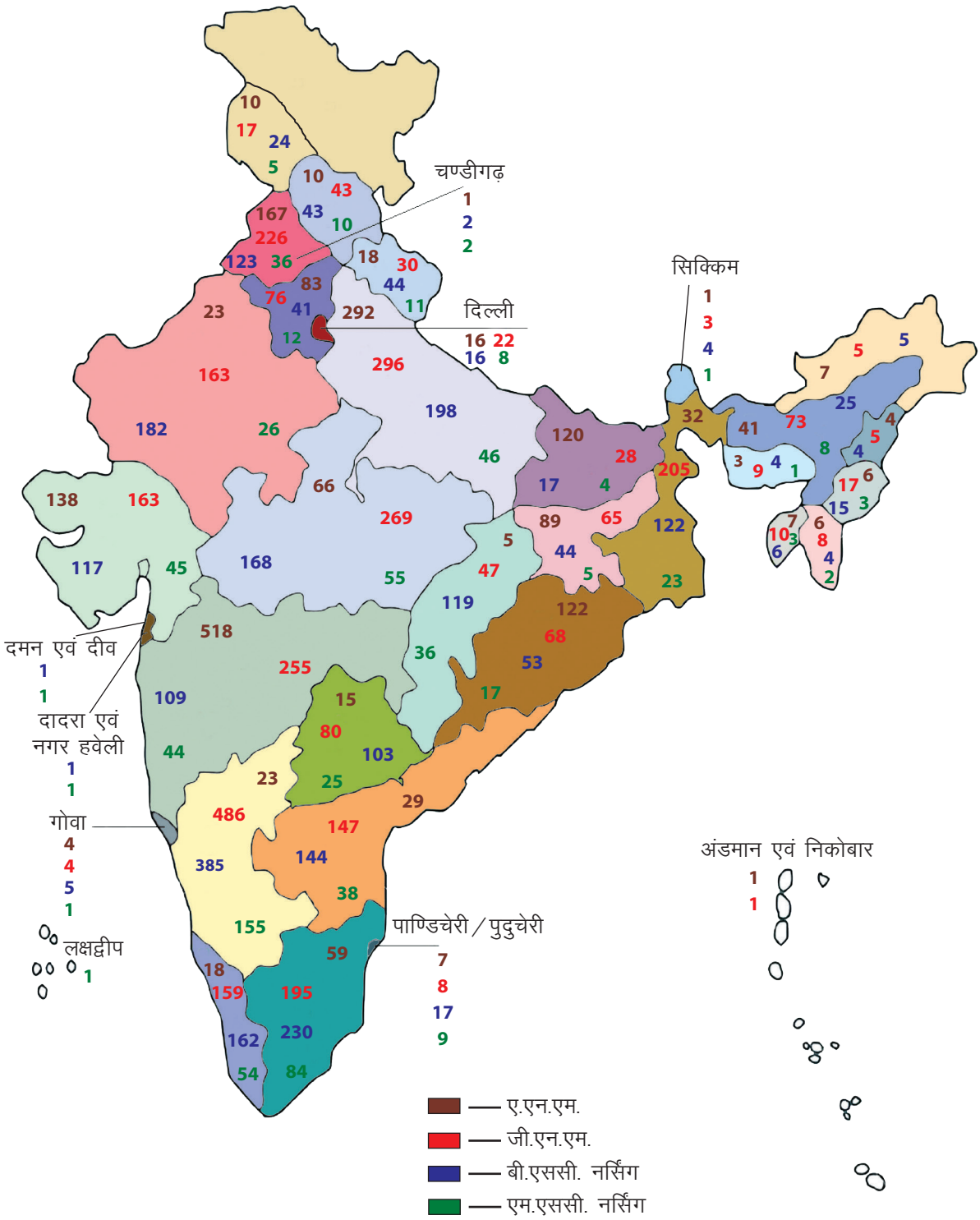

4. 31 मार्च 2025 को नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों की कुल राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	संस्थानों की कुल संख्या		
	सरकारी	निजी	योग
अण्डमान एवं निकोबार	1	0	1
आन्ध्र प्रदेश	19	246	265
अरुणाचल प्रदेश	6	9	15
असम	30	67	97
बिहार	57	82	139
चण्डीगढ़	4	0	4
छत्तीसगढ़	20	110	130
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	1
दमन एवं दीव	1	0	1
दिल्ली	17	28	45
गोवा	2	4	6
गुजरात	52	175	227
हरियाणा	13	98	111
हिमाचल प्रदेश	10	52	62
जम्मू एवं कश्मीर	8	29	37
झारखण्ड	17	111	128
कर्नाटक	38	614	652
केरल	52	223	275
लद्दाख	0	0	0
लक्षद्वीप	1	0	1
मध्य प्रदेश	40	303	343
महाराष्ट्र	63	624	687
मणिपुर	5	26	31
मेघालय	5	9	14
मिजोरम	10	6	16
नागालैण्ड	4	6	10
उड़ीसा	36	143	179
पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	6	14	20
पंजाब	23	237	260
राजस्थान	58	232	290
सिक्किम	2	3	5
तमिलनाडु	41	326	367
तेलंगाना	21	141	162
त्रिपुरा	5	12	17
उत्तर प्रदेश	34	360	394
उत्तराखण्ड	16	41	57
पश्चिम बंगाल	88	173	261
कुल योग	**806**	**4504**	**5310**
%	**15.18%**	**84.82%**	**100%**

5. 31 मार्च, 2025 को ए.एन.एम. और जी.एन.एम. कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन

राज्य	ए.एन.एम.						जी.एन.एम.					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	1	0	30	0	1	30	1	0	20	0	1	20
आन्ध्र प्रदेश	3	26	100	740	29	840	9	138	440	5930	147	6370
अरुणाचल प्रदेश	4	3	80	80	7	160	0	5	0	200	5	200
असम	11	30	310	845	41	1155	22	51	1064	2090	73	3154
बिहार	48	72	2090	2735	120	4825	8	20	406	1015	28	1421
चण्डीगढ़	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	5	0	210	0	5	210	10	37	345	1235	47	1580
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	2	14	80	530	16	610	2	20	90	860	22	950
गोवा	1	3	40	120	4	160	1	3	50	130	4	180
गुजरात	26	112	790	3500	138	4290	23	140	980	6435	163	7415
हरियाणा	8	75	250	2380	83	2630	6	70	220	2850	76	3070
हिमाचल प्रदेश	2	8	70	220	10	290	7	36	220	1360	43	1580
जम्मू एवं कश्मीर	0	10	0	335	10	335	0	17	0	715	17	715
झारखण्ड	10	79	320	2640	89	2960	4	61	140	2645	65	2785
कर्नाटक	11	12	330	340	23	670	17	469	746	22775	486	23521
केरल	7	11	185	350	18	535	19	140	581	4687	159	5268
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	18	48	625	1545	66	2170	11	258	560	10260	269	10820
महाराष्ट्र	33	485	810	10710	518	11520	38	217	1239	6805	255	8044
मणिपुर	3	3	100	80	6	180	2	15	60	540	17	600
मेघालय	2	1	50	15	3	65	3	6	100	215	9	315
मिजोरम	5	1	130	30	6	160	4	4	80	140	8	220
नागालैण्ड	1	3	30	70	4	100	1	4	40	170	5	210
उड़ीसा	22	100	830	3005	122	3835	2	66	80	2600	68	2680
पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	2	5	42	130	7	172	2	6	60	230	8	290
पंजाब	7	160	240	5840	167	6080	10	216	470	11043	226	11513
राजस्थान	17	6	435	180	23	615	14	149	805	7160	163	7965
सिक्किम	1	0	20	0	1	20	1	2	20	60	3	80
तमिलनाडु	12	47	640	1480	59	2120	25	170	2130	5035	195	7165
तेलंगाना	3	12	60	365	15	425	6	74	300	3352	80	3652
त्रिपुरा	3	4	125	170	7	295	2	8	90	340	10	430
उत्तर प्रदेश	11	281	260	10640	292	10900	6	290	220	13065	296	13285
उत्तराखण्ड	6	12	120	335	18	455	3	27	110	1016	30	1126
पश्चिम बंगाल	26	6	1490	240	32	1730	45	160	2957	9429	205	12386
कुल योग	**312**	**1629**	**10912**	**49650**	**1941**	**60562**	**304**	**2879**	**14623**	**124387**	**3183**	**139010**
%	**16.08%**	**83.92%**	**18.02%**	**81.98%**	**100%**	**100%**	**09.55%**	**90.45%**	**10.52%**	**89.48%**	**100%**	**100%**

6. 31 मार्च, 2025 को बी.एससी. नर्सिंग और एम.एससी. नर्सिंग कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन

राज्य	बी.एससी. नर्सिंग						एम.एससी. नर्सिंग					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	12	132	695	7060	144	7755	5	33	190	595	38	785
अरुणाचल प्रदेश	2	3	60	110	5	170	0	0	0	0	0	0
असम	4	21	230	1070	25	1300	3	5	65	69	8	134
बिहार	5	12	290	760	17	1050	1	3	10	85	4	95
चण्डीगढ़	2	0	120	0	2	120	2	0	24	0	2	24
छत्तीसगढ़	8	111	410	5105	119	5515	8	28	167	520	36	687
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	60	0	1	60	1	0	20	0	1	20
दमन एवं दीव	1	0	50	0	1	50	1	0	20	0	1	20
दिल्ली	12	4	545	210	16	755	5	3	93	60	8	153
गोवा	1	4	100	180	5	280	1	0	25	0	1	25
गुजरात	9	108	450	5415	117	5865	5	40	100	792	45	892
हरियाणा	4	37	205	2280	41	2485	1	11	30	237	12	267
हिमाचल प्रदेश	2	41	120	1650	43	1770	2	8	55	171	10	226
जम्मू एवं कश्मीर	8	16	420	820	24	1240	0	5	0	108	5	108
झारखण्ड	2	42	110	2080	44	2190	1	4	10	85	5	95
कर्नाटक	13	372	1025	20715	385	21740	7	148	110	3089	155	3199
केरल	29	133	1890	8155	162	10045	10	44	202	723	54	925
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	1	0	30	0	1	30	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	16	152	1045	7235	168	8280	6	49	190	963	55	1153
महाराष्ट्र	9	100	470	4905	109	5375	5	39	76	725	44	801
मणिपुर	2	13	90	470	15	560	2	1	20	8	3	28
मेघालय	1	3	50	120	4	170	1	0	10	0	1	10
मिजोरम	2	2	80	60	4	140	2	0	35	0	2	35
नागालैण्ड	2	2	60	90	4	150	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	12	41	825	2263	53	3088	3	14	95	400	17	495
पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	4	13	275	950	17	1225	2	7	47	146	9	193
पंजाब	8	115	420	6250	123	6670	3	33	75	700	36	775
राजस्थान	32	150	2150	7135	182	9285	8	18	203	275	26	478
सिक्किम	1	3	40	160	4	200	0	1	0	25	1	25
तमिलनाडु	5	225	250	14670	230	14920	2	82	65	1734	84	1799
तेलंगाना	14	89	970	5330	103	6300	1	24	30	503	25	533
त्रिपुरा	1	5	50	240	6	290	0	3	0	57	3	57
उत्तर प्रदेश	17	181	1030	8280	198	9310	4	42	110	928	46	1038
उत्तराखण्ड	8	36	420	1798	44	2218	2	9	34	181	11	215
पश्चिम बंगाल	26	96	1735	5985	122	7720	13	10	326	170	23	496
कुल योग	**276**	**2262**	**16770**	**121551**	**2538**	**138321**	**107**	**664**	**2437**	**13349**	**771**	**15786**
%	**10.87%**	**89.13%**	**12.12%**	**87.88%**	**100%**	**100%**	**13.88%**	**86.12%**	**15.44%**	**84.56%**	**100%**	**100%**

7. 31 मार्च, 2025 को पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम (पी.बी.डी.पी.) का राज्यवार विभाजन

राज्य	पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग						पी.बी.डी.पी. (पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम)					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	2	31	40	880	33	920	4	7	60	70	11	130
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
असम	0	7	0	215	7	215	2	2	50	20	4	70
बिहार	1	5	40	170	6	210	0	3	0	40	3	40
चण्डीगढ़	1	0	40	0	1	40	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	18	20	525	19	545	2	1	40	10	3	50
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	2	2	50	50	4	100	10	3	180	40	13	220
गोवा	1	0	10	0	1	10	3	0	60	0	3	60
गुजरात	1	45	30	1375	46	1405	4	3	75	30	7	105
हरियाणा	1	29	30	870	30	900	2	5	30	55	7	85
हिमाचल प्रदेश	2	16	60	400	18	460	0	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	0	4	0	170	4	170	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	1	7	30	210	8	240	2	0	21	0	2	21
कर्नाटक	5	155	180	5815	160	5995	13	22	170	280	35	450
केरल	4	24	140	655	28	795	6	14	76	185	20	261
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	8	53	400	1585	61	1985	0	6	0	65	6	65
महाराष्ट्र	2	46	70	1365	48	1435	14	15	209	205	29	414
मणिपुर	0	4	0	90	4	90	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	1	0	30	1	30	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	1	0	30	0	1	30	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	1	0	20	1	20	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	2	14	110	500	16	610	17	1	210	10	18	220
पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	1	6	25	195	7	220	2	0	20	0	2	20
पंजाब	7	96	235	3200	103	3435	5	2	58	30	7	88
राजस्थान	2	45	45	1295	47	1340	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	2	0	70	2	70	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	57	90	1890	59	1980	4	28	80	385	32	465
तेलंगाना	1	18	10	545	19	555	3	14	75	215	17	290
त्रिपुरा	0	2	0	50	2	50	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	60	80	1780	62	1860	5	0	80	0	5	80
उत्तराखण्ड	1	13	30	430	14	460	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	10	10	570	425	20	995	8	7	135	105	15	240
कुल योग	**62**	**772**	**2385**	**24815**	**834**	**27200**	**106**	**133**	**1629**	**1745**	**239**	**3374**
%	**07.43%**	**92.57%**	**08.77%**	**91.23%**	**100%**	**100%**	**44.35%**	**55.65%**	**48.28%**	**51.72%**	**100%**	**100%**

8. 31 मार्च, 2025 को नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.) और एन.पी.एम. एजूकेटर कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन

राज्य	नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.)						एन.पी.एम. एजूकेटर					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	3	0	40	3	40	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	1	2	10	20	3	30	1	0	30	0	1	30
हरियाणा	1	3	15	50	4	65	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	2	11	15	165	13	180	0	0	0	0	0	0
केरल	0	5	0	80	5	80	0	0	0	0	0	0
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	0	20	2	20	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	7	0	130	7	130	0	1	0	30	1	30
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	2	5	20	3	25	1	0	30	0	1	30
राजस्थान	1	1	25	20	2	45	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	9	0	115	9	115	1	0	6	0	1	6
तेलंगाना	0	4	0	80	4	80	1	1	30	30	2	60
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	5	0	80	5	80	0	0	0	0	0	0
उत्तराखण्ड	1	2	20	25	3	45	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	1	0	10	1	10	1	0	30	0	1	30
कुल योग	**7**	**61**	**90**	**895**	**68**	**985**	**5**	**2**	**126**	**60**	**7**	**186**
%	**10.29%**	**89.71%**	**09.14%**	**90.86%**	**100%**	**100%**	**71.43%**	**28.57%**	**67.74%**	**32.26%**	**100%**	**100%**

उपचर्या संस्थानों की संख्या में कार्यक्रम-वार वृद्धि

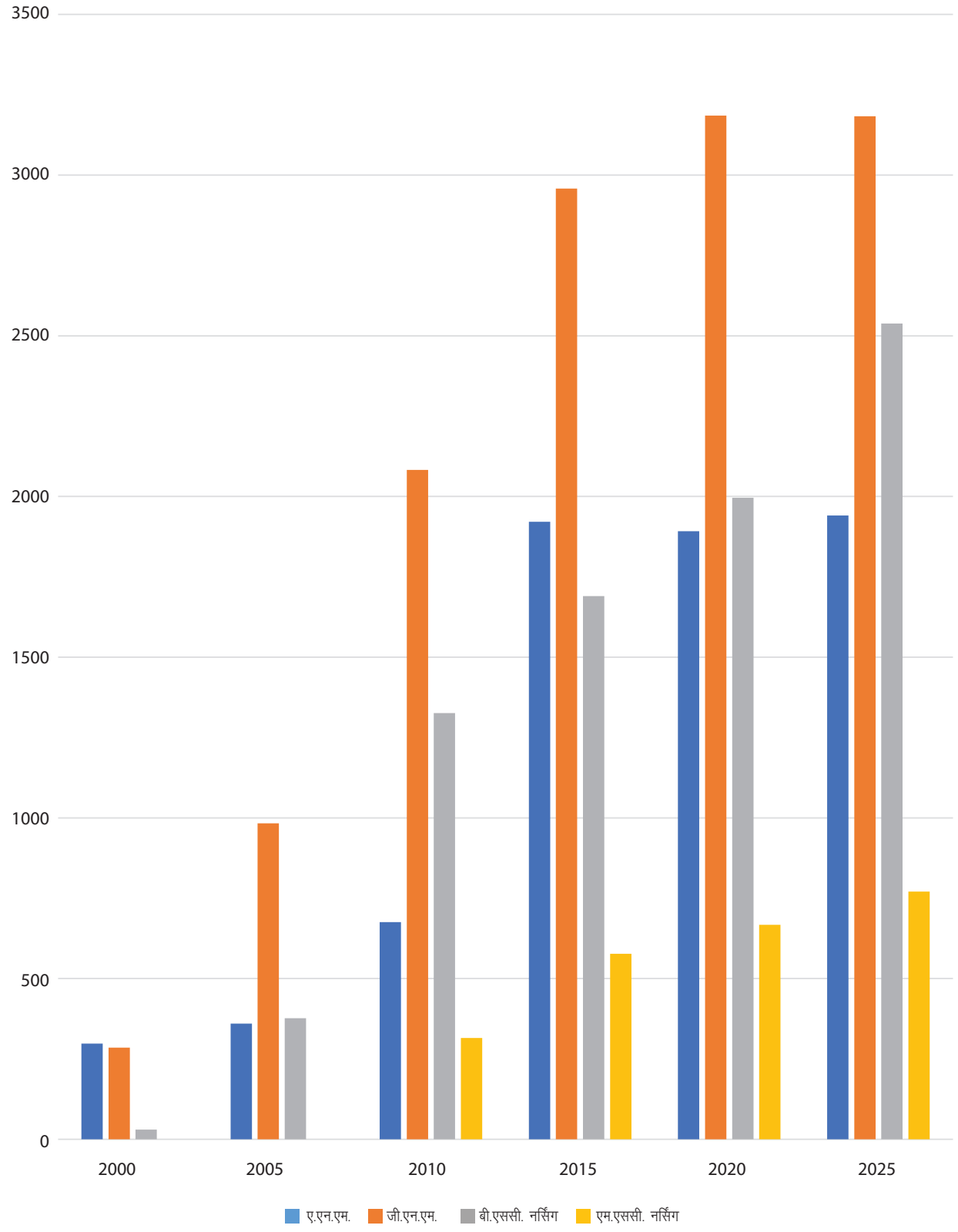

9. ऑग्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (ए.एन.एम.) स्कूलों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	अण्डमान एवं निकोबार	1	1	1	1	1	1
2	आन्ध्र प्रदेश	50	49	34	69	31	29
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	4	7	7
4	असम	5	6	7	19	35	41
5	बिहार	19	21	27	75	111	120
6	चण्डीगढ़	1	1	0	1	1	1
7	छत्तीसगढ़	3	4	8	93	5	5
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	1	1	4	7	10	16
11	गोवा	1	1	1	2	2	4
12	गुजरात	3	4	8	99	133	138
13	हरियाणा	8	13	40	82	87	83
14	हिमाचल प्रदेश	8	8	6	8	9	10
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	3	15	14	10
16	झारखण्ड	13	15	14	49	65	89
17	कर्नाटक	7	5	26	43	26	23
18	केरल	26	25	14	19	18	18
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	19	20	76	111	90	66
21	महाराष्ट्र	25	27	180	572	544	518
22	मणिपुर	1	3	6	11	7	6
23	मेघालय	1	2	2	2	3	3
24	मिजोरम	2	2	3	3	4	6
25	नागालैण्ड	1	1	1	1	2	4
26	उड़ीसा	22	22	50	131	129	122
27	पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	0	1	1	4	7	7
28	पंजाब	12	35	49	176	168	167
29	राजस्थान	15	16	11	29	26	23
30	सिक्किम	1	1	0	1	1	1
31	तमिलनाडु	13	15	13	37	46	59
32	तेलंगाना	–	–	–	–	17	15
33	त्रिपुरा	0	1	2	3	5	7
34	उत्तर प्रदेश	29	29	26	180	243	292
35	उत्तराखण्ड	5	5	6	20	20	18
36	पश्चिम बंगाल	4	24	55	54	25	32
	कुल योग	**298**	**360**	**676**	**1921**	**1892**	**1941**
	वृद्धि प्रतिशत में		**20.80%**	**87.77%**	**184.17%**	***(–)1.51%**	**2.59%**

*1. (–) कुछ नर्सिंग संस्थान प्रवेश नहीं होने के कारण बन्द हो गए हैं।

2. (–) उप–केंद्रों की देखरेख करने के लिए ए.एन.एम. की आवश्यकता होती है। कई राज्य अधिक आपूर्ति के कारण ए.एन.एम. कार्यक्रम बंद कर रहे हैं।

10. जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) स्कूलों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	अण्डमान एवं निकोबार	0	1	1	1	1	1
2	आन्ध्र प्रदेश	53	130	245	253	156	147
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2	2	5	7	5
4	असम	4	11	17	30	55	73
5	बिहार	9	13	9	16	26	28
6	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	2	12	58	82	47
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	1	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	8	16	21	18	18	22
11	गोवा	0	1	2	1	1	4
12	गुजरात	15	23	51	102	152	163
13	हरियाणा	3	19	42	78	83	76
14	हिमाचल प्रदेश	3	6	26	35	43	43
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	2	5	16	17	17
16	झारखण्ड	1	1	16	24	29	65
17	कर्नाटक	47	283	526	519	475	486
18	केरल	42	92	220	209	176	159
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	8	24	69	313	395	269
21	महाराष्ट्र	28	60	109	254	265	255
22	मणिपुर	0	4	7	13	16	17
23	मेघालय	1	5	7	7	8	9
24	मिजोरम	1	4	5	5	6	8
25	नागालैण्ड	1	1	1	4	5	5
26	उड़ीसा	4	10	40	76	78	68
27	पाण्डिचेरी/पुदुचेरी	0	1	2	5	9	8
28	पंजाब	12	79	149	214	211	226
29	राजस्थान	3	55	157	173	168	163
30	सिक्किम	0	0	0	2	2	3
31	तमिलनाडु	21	72	169	210	207	195
32	तेलंगाना	–	–	–	–	88	80
33	त्रिपुरा	0	3	3	5	6	10
34	उत्तर प्रदेश	8	35	114	228	287	296
35	उत्तराखण्ड	0	0	6	19	32	30
36	पश्चिम बंगाल	11	28	49	64	81	205
	कुल योग	**285**	**983**	**2083**	**2958**	**3185**	**3183**
	वृद्धि प्रतिशत में		**244.91%**	**111.90%**	**42.00%**	**0.0767%**	***(–)0.06%**

*प्रवेश न होने के कारण नर्सिंग संस्थानों का बंद होना तथा नर्सिंग स्कूल का स्वैच्छिक आधार पर नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन करना।

11. बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	1	76	215	225	145	144
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	1	5
4	असम	1	1	6	10	17	25
5	बिहार	0	0	0	4	10	17
6	चण्डीगढ़	1	1	1	2	2	2
7	छत्तीसगढ़	0	5	35	71	98	119
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	1	1	1
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	1	1
10	दिल्ली	3	5	11	11	14	16
11	गोवा	0	0	3	3	3	5
12	गुजरात	1	3	27	52	103	117
13	हरियाणा	0	2	19	32	39	41
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	7	16	31	43
15	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	4	5	16	24
16	झारखण्ड	0	0	4	7	10	44
17	कर्नाटक	6	160	315	334	314	385
18	केरल	1	12	104	126	132	162
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	1	18	86	133	188	168
21	महाराष्ट्र	3	12	75	97	104	109
22	मणिपुर	0	0	1	6	8	15
23	मेघालय	0	0	1	2	2	4
24	मिजोरम	0	1	2	2	3	4
25	नागालैण्ड	0	0	0	1	1	4
26	उड़ीसा	0	4	14	18	36	53
27	पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	0	5	10	14	15	17
28	पंजाब	3	16	82	101	108	123
29	राजस्थान	1	4	116	152	149	182
30	सिक्किम	0	1	1	2	3	4
31	तमिलनाडु	7	46	138	172	188	230
32	तेलंगाना	–	–	–	–	86	103
33	त्रिपुरा	0	0	1	4	4	6
34	उत्तर प्रदेश	0	2	28	58	111	198
35	उत्तराखण्ड	0	1	5	10	23	44
36	पश्चिम बंगाल	1	2	15	18	30	122
	कुल योग	**30**	**377**	**1326**	**1690**	**1996**	**2538**
	वृद्धि प्रतिशत में		**1156.66%**	**251.72%**	**27.45%**	**18.11%**	**27.15%**

12. एम.एससी. नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	0	2	29	55	36	38
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	3	5	7	8
5	बिहार	0	0	0	0	1	4
6	चण्डीगढ़	0	1	1	1	1	2
7	छत्तीसगढ़	0	0	10	16	21	36
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	1	1
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	1
10	दिल्ली	1	1	3	4	7	8
11	गोवा	0	0	0	1	1	1
12	गुजरात	0	0	2	9	20	45
13	हरियाणा	0	0	1	4	11	12
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	8	10
15	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	2	4	5
16	झारखण्ड	0	0	0	0	1	5
17	कर्नाटक	6	20	120	178	156	155
18	केरल	0	3	30	66	57	54
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	2	20	27	61	55
21	महाराष्ट्र	1	2	16	35	41	44
22	मणिपुर	0	0	0	0	2	3
23	मेघालय	0	0	0	0	1	1
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	2
25	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	0	0	4	7	12	17
27	पाण्डिचेरी / पुदुचेरी	0	0	4	7	7	9
28	पंजाब	0	2	13	38	36	36
29	राजस्थान	0	0	5	18	25	26
30	सिक्किम	0	0	0	0	1	1
31	तमिलनाडु	2	24	44	79	82	84
32	तेलंगाना	–	–	–	–	23	25
33	त्रिपुरा	0	0	0	2	2	3
34	उत्तर प्रदेश	0	0	4	9	20	46
35	उत्तराखण्ड	0	0	2	4	8	11
36	पश्चिम बंगाल	0	2	4	9	14	23
	कुल योग	**10**	**59**	**315**	**577**	**667**	**771**
	वृद्धि प्रतिशत में		**490%**	**433.89%**	**83.17%**	**15.60%**	**15.59%**

13. भारत में पंजीकृत नर्सों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	31.03.2025 को भारत में पंजीकृत नर्सों, सहायक नर्सों और महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं की कुल संख्या		
		ए.एन.एम.	आर.एन. एवं आर.एम.	एल.एच.वी.
1	आन्ध्र प्रदेश****	141140	283811	2480
2	अरुणाचल प्रदेश	8537	10335	364
3	असम****	31914	33194	461
4	बिहार****	30789	30919	511
5	छत्तीसगढ़****	15229	40376	1352
6	दिल्ली	6129	105838	0
7	गोवा	558	2277	0
8	गुजरात***	57731	151108	0
9	हरियाणा	33079	46864	694
10	हिमाचल प्रदेश****	7015	32498	500
11	जम्मू एवं कश्मीर**	16096	10676	142
12	झारखण्ड****	54039	491123	6840
13	कर्नाटक	32286	362435	8507
14	केरल	51613	175363	1731
15	मध्य प्रदेश****	90059	172978	685
16	महाराष्ट्र****	2473	12143	258
17	मणिपुर	4865	17147	0
18	मेघालय	2865	5878	0
19	मिजोरम	42500	46000	238
20	नागालैण्ड	50488	147526	2584
21	उड़ीसा*	110443	209554	2732
22	पंजाब	68387	377587	11295
23	राजस्थान #	3424	10282	148
24	सिक्किम	106442	177089	2763
25	तमिलनाडु	11544	18111	37
26	तेलंगाना****	72129	99890	12854
27	त्रिपुरा	14329	81173	0
28	उत्तर प्रदेश****	288	3135	0
29	उत्तराखण्ड****	2901	3647	0
30	पश्चिम बंगाल	5264	3999	0
कुल योग		**1074556**	**3162956**	**57176**

स्रोत : संबंधित राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद्;

ए.एन.एम. : सहायक नर्स प्रसाविका; **आर.एन. एवं आर.एम. :** पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत प्रसाविका;

एल.एच.वी. : महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका; **एन.ए. :** अनुपलब्ध;

टिप्पणी : # 31.12.2020 तक के आंकड़े, **31.12.2021 तक के आंकड़े, ***31.12.2022 तक के आंकड़े, ****31.12.2023 तक के आंकड़े, *जनवरी 2023 तक के आंकड़े।

पंजीकृत ए.एन.एम., आर.एन. एवं आर.एम. और महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं की वर्षवार कुल संख्या

वर्ष	आर.ए.एन.एम.	आर.एन. एवं आर.एम.	आर.एल.एच.वी.	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में		
				आर.ए.एन.एम.	आर.एन. एवं आर.एम.	आर.एल.एच.वी.
2000	411220	775812	35890			
2005	510628	879464	50455	24.17%	13.36%	40.58%
2010	603131	1238874	52963	18.12%	40.87%	4.97%
2015	821147	1900837	56264	36.15%	53.43%	6.23%
2020	943951	2340501	56854	14.96%	23.13%	1.05%
2024	1074556	3162956	57176	13.84%	35.14%	0.57%

***स्रोत** : विवरण राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषदों से लिए गए हैं;

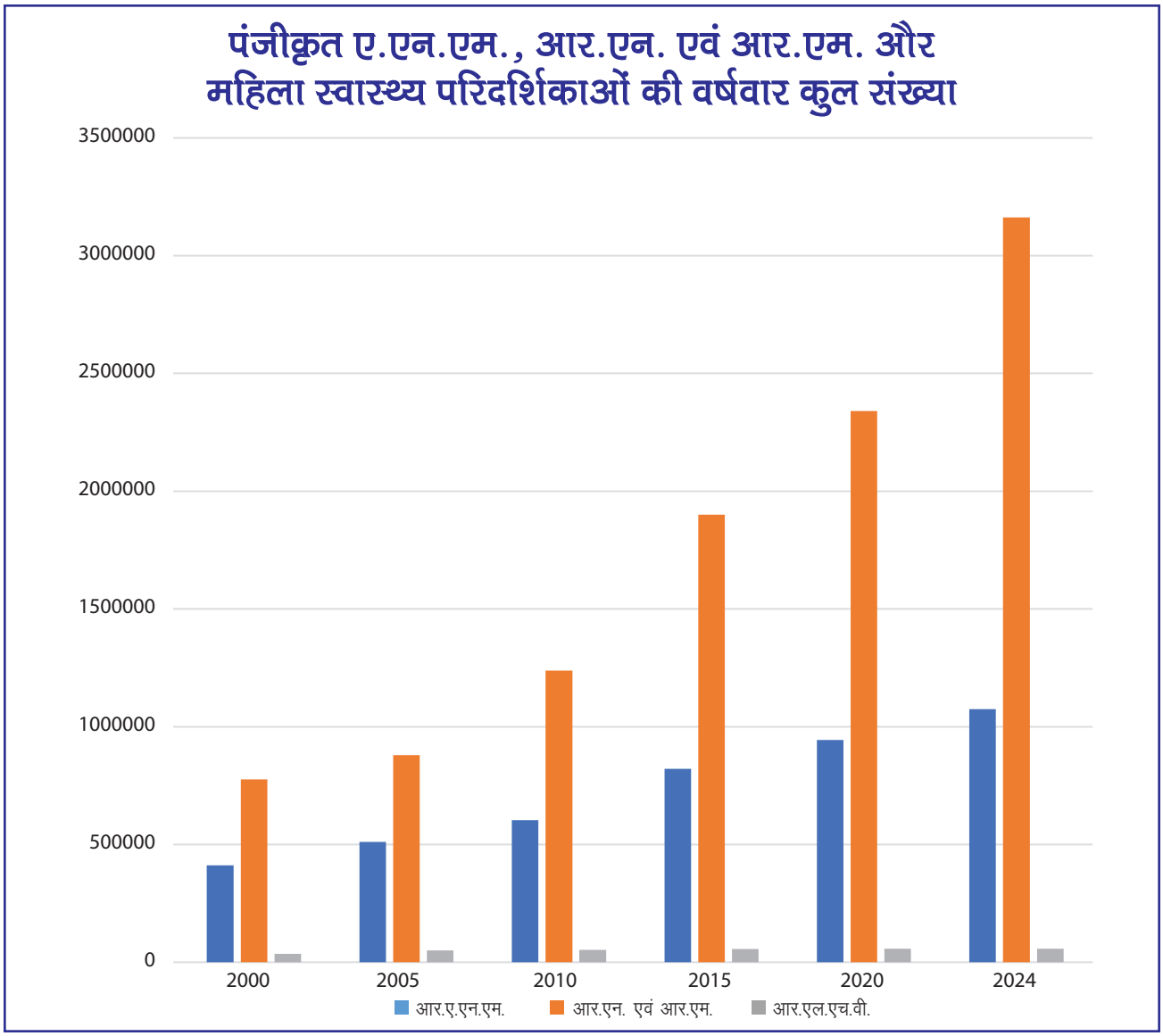

14. राष्ट्रीय संदर्भ सिमुलेशन केंद्र (एनआरएससी)

एनआरएससी नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जपाइगो, लडरल और एसजीटी विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित एक अत्याधुनिक सुविधा है।

वैयक्तिक कौशल दक्षताओं के स्तर को बढ़ाने, निर्णय लेने और सिमुलेशन परिदृश्य वाले मामलों के प्रबंधन के लिए सिमुलेशन मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम में **1058** संकाय को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मानकीकरण और सिमुलेशन आधारित शिक्षा तथा चयनित मिडवाइफरी कौशल के लिए **756** नर्सिंग कर्मियों को मिडवाइफरी सिमुलेशन प्रशिक्षण कौशल में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

15. नेशनल कंसोर्टियम फॉर पी.एचडी. इन नर्सिंग

राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सहयोग से भारतीय उपचर्या परिषद् नेशनल कंसोर्टियम फॉर पीएचडी इन नर्सिंग के तत्वावधान में पीएच.डी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित कर रही है।

डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित अभ्यर्थियों की संख्या = 199

31 मार्च 2025 तक पंजीकृत कुल अभ्यर्थियों की संख्या = 503

16. लीडरशिप फॉर चेंज (एलएफसी)

''लीडरशिप फॉर चेंज'' (एलएफसी) कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय उपचर्या परिषद् (आईसीएन) द्वारा संचालित एक ब्रांड लीडरशिप कार्यक्रम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), ग्लोबल फंड आदि के सहयोग से वित्त पोषित है। एलएफसी की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और इसे 70 से अधिक देशों में लागू किया जा चुका है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ स्तर की नर्सों को संगठनात्मक, क्षेत्रीय व राष्ट्र स्तरीय स्वास्थ्य चुनौतियों की बेहतर समझ हासिल करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अपनी वैयक्तिक नेतृत्व शैली में सुधार करने के लिए तैयार करना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ''स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट'' और ''स्टेट ऑफ वर्ल्ड मिडवाइफरी'' रिपोर्ट जारी की गई है, जो दुनिया भर में नर्सिंग तथा मिडवाइफरी कार्यबल की स्थिति से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमापन करती है। डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष 2021 में जारी स्ट्रॅटेजिक डायरेक्शन फॉर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिपोर्ट में नर्सिंग नेतृत्व को एक प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। ये सभी रिपोर्ट निवेश, रोजगार सृजन, नेतृत्व और सेवा वितरण पर केंद्रित हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा यह भी कहा गया है कि इन चार रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से नर्स और मिडवाइव्स को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में योगदान करने में मदद मिलेगी।

नर्सों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में सूचीबद्ध एक रणनीतिक क्षेत्र को पूरा करने के उद्देश्य से, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उपचर्या परिषद् के सहयोग से दिसंबर, 2021 में वर्चुअल माध्यम से भारत में विशिष्ट नेतृत्व कार्यक्रम ''लीडरशिप फॉर चेंज'' (एलएफसी) शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक बैच में 21 प्रतिभागियों के दो समूह हैं और यह प्रतिभागियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है।

यह कार्यक्रम मध्यम से वरिष्ठ स्तर के ऐसे नर्स और मिडवाइफ प्रबंधकों के नेतृत्व कौशल को विकसित करने पर केंद्रित है, जो सेवा, अभ्यास पैटर्न या कार्यस्थल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए संगठनात्मक परिवर्तन लाने की स्थिति में हैं।

भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा कुल 42 प्रतिभागियों के साथ दो समूह (कोहर्ट) प्रायोजित किए गए थे और यह 08 दिसंबर, 2023 को संपन्न हो चुके हैं।

आईसीएन द्वारा 40 सफल उम्मीदवारों को भेजे गए स्नातक प्रमाणपत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) की अपर सचिव (चिकित्सा शिक्षा) श्रीमती हेकाली झिमोमी (आईएएस) द्वारा प्रदान किए गए।

17. तदर्थ निरीक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला

तदर्थ निरीक्षकों को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 के तहत निर्धारित भारतीय उपचर्या परिषद् विनियमन की विनियम संख्या 57(2) के अनुसार कार्यकारी समिति के अनुमोदन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध तदर्थ निरीक्षकों को निरीक्षण के संचालन और निरीक्षण के दौरान नैतिकता के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत निरीक्षण का संचालन करने के लिए नर्सिंग संकाय के 87 सदस्यों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

18. भारतीय उपचर्या परिषद् वेबसाइट **www.indiannursingcouncil.org** हमेशा सक्रिय रहती है।

19. नर्सिंग शिक्षा से संबंधित विभिन्न राजपत्रित अधिसूचनाएं और परिपत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं।

- एम.एससी. इन फोरेंसिक नर्सिंग कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन जेरिएट्रिक नर्सिंग (एनपीजीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन ट्रांसप्लांट नर्सिंग (एनपीटीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन फेमिली हैल्थ (एनपीएफएच) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन नियोनेटल नर्सिंग (एनपीएनईओएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन एनेस्थेसिया (एनपीए) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन नेफ्रोलॉजी नर्सिंग (एनपीएनईपीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- नर्स प्रैक्टिशनर इन पीडियाट्रिक नर्सिंग (एनपीपीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम
- कार्डियोथोरेसिक स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम
- आपातकालीन तथा आपदा स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम
- प्रशामक देखभाल स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम

20. सीएनई फॉर इन–सर्विस नर्सेज पर विभिन्न ई–लर्निंग मॉड्यूल अपलोड किए जाते हैं। निम्नलिखित मॉड्यूल और जोड़े गए हैं।

- गर्भावधि मधुमेह
- प्रसवपूर्व देखभाल

21. ई–ऑफिस और ई–एप्लिकेशन को स्वतः ही विकसित किया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तथा सभी पत्र केवल ई–मेल/संबंधित एप्लिकेशन के माध्यम से ही भेजे जाते हैं।

22. नर्सों का सांप्रतिक (लाइव) रजिस्टर

नर्सों का सांप्रतिक (लाइव) रजिस्टर तैयार करने के लिए, भारतीय उपचर्या परिषद् ने नर्स पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली (एनआरटीएस) शुरु की है। एनआरटीएस एक पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जिसका शुभारम्भ वर्ष 2016–17 में किया गया था। वर्ष के दौरान, आधार प्रमाणीकरण के आधार पर एनआरटीएस के तहत राज्य उपचर्या परिषदों में पहले से पंजीकृत नर्सों के नामांकन में निरन्तर बढ़ोंत्तरी हुई है और साथ ही कॉलेजों/संस्थानों/स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले नए नर्सों का नामांकन एनआरटीएस के तहत राज्य उपचर्या परिषदों में प्राथमिक पंजीकरण के रूप में किया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्य उपचर्या परिषदों को एनआरटीएस प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य उपचर्या परिषदों में प्राथमिक पंजीकरण तथा पारस्परिक पंजीकरण शुरू हो चुके हैं और **31 मार्च, 2025 तक 13,20,926 पंजीकृत नर्सों का नामांकन हो चुका है।**

23. फोरेंसिक नर्सिंग में एम.एससी. कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 844 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024)

फोरेंसिक नर्सिंग में एम.एससी. कार्यक्रम पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को विभिन्न फोरेंसिक देखभाल तंत्रों में फोरेंसिक नर्स विशेषज्ञ, विशेषज्ञ सलाहकार, शिक्षक और प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करता है। फोरेंसिक नर्सिंग अभ्यास मुख्य रूप से हिंसा और आघात से प्रभावित व्यक्तियों और जनता, उनके परिजनों, समुदायों और उन तंत्रों से संबंधित है जो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। फोरेंसिक नर्स यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल शोषण एवं उपेक्षा, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, मौत की जांच, सुधार और बड़ी आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में अभ्यास करने में सक्षम होंगे। वे विभिन्न तंत्रों जैसे अस्पतालों, समुदायों, अहिंसा कार्यक्रमों, चिकित्सा परीक्षक कक्षों, सुधार संस्थानों और मनोरोग अस्पतालों में अभ्यास कर सकते हैं। उन्हें सामूहिक आपदाया सामुदायिक संकट की स्थितियों में भी लगाया जा सकता है।

24. नर्स प्रैक्टिशनर इन जेरिएट्रिक नर्सिंग (एनपीजीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 842 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024)

नर्स प्रैक्टिशनर इन जेरिएट्रिक नर्सिंग (एनपीजीएन) – आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को अस्पताल एवं सामुदायिक समायोजन में बुजुर्ग रोगियों को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार करना है। नर्सिंग देखभाल रोगियों को स्थिर करने, गंभीर जटिलताओं को कम करने और अधिकतम स्वास्थ्य बहाली पर केंद्रित है। एनपीजीएन के लिए अभ्यास समायोजन में अस्पताल के बाह्य रोगी क्लीनिक, आंतरिक रोगी सुविधा और दीर्घकालिक देखभाल सुविधा शामिल हैं और उनके द्वारा मुख्य रूप से प्राथमिक तथा माध्यमिक देखभाल पर ध्यान दिया जाता है। इन एनपी को तृतीयक देखभाल केंद्रों की बुजुर्ग देखभाल इकाइयों में भी कार्य करना आवश्यक है। एनपीजीएन बढ़ती उम्र के जीर्ण व गंभीर स्थितियों एवं वृद्धावस्था के लक्षणों का निदान, उपचार तथा प्रबंधन करने और चिकित्सा हस्तक्षेप या, कभी–कभी, उपशामक उपचार और मरणासन्न देखभाल प्रदान करने में समर्थ होंगे। उन्हें ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत शिक्षा प्रदान की जाती है, जो बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों के साथ–साथ परिणामी संज्ञानात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दुर्बलताओं का समाधान करती हैं।

25. नर्स प्रैक्टिशनर इन ट्रांसप्लांट नर्सिंग (एनपीटीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 843 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024)

नर्स प्रैक्टिशनर इन ट्रांसप्लांट नर्सिंग (एनपीटीएन) – आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को दाता तथा प्राप्तकर्ता को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार करना है। नर्सिंग देखभाल, रोगियों की स्थिति को स्थिर करने, गंभीर जटिलताओं को रोकने और अधिकतम स्वास्थ्य बहाली पर केंद्रित है। इन नर्स प्रैक्टिशनर्स को ट्रांसप्लांट देखभाल इकाइयों में अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं जो सुदृढ़ वैज्ञानिक नींव पर आधारित हैं जिनमें साक्ष्य आधारित अभ्यास और जटिल स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन शामिल है। इन्हें बी.एससी. प्रशिक्षित नर्सों की सैद्धांतिक और अभ्यास दक्षताओं के आधार पर तैयार किया गया है।

26. नर्स प्रैक्टिशनर इन फेमिली हैल्थ (एनपीएफएच) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 1081 दिनांक 27 दिसंबर, 2024)

नर्स प्रैक्टिशनर इन फेमिली हैल्थ (एनपीएफएच) – आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को परिवार–केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करके गंभीर और जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार करना है। नर्सिंग देखभाल रोगियों की स्थिति को स्थिर करने, जटिलताओं को कम करने और स्वास्थ्य की अधिकतम बहाली पर केंद्रित है। नर्स प्रैक्टिशनर इन फेमिली हैल्थ को प्राथमिक या द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल समायोजनों में अभ्यास करना आवश्यक है। कार्यक्रम में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं जो साक्ष्य आधारित अभ्यास और जटिल स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रबंधन सहित मजबूत वैज्ञानिक नींव पर आधारित हैं। ये बी.एससी. प्रशिक्षित नर्सों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षताओं पर आधारित हैं।

27. नर्स प्रैक्टिशनर इन नियोनेटल नर्सिंग (एनपीएनईओएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 1082 दिनांक 27 दिसंबर, 2024)

नर्स प्रैक्टिशनर इन नियोनेटल नर्सिंग (एनपीएनईओएन) – आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार करना है। नर्सिंग देखभाल, नवजात शिशुओं की स्थिति को स्थिर करने, गंभीर जटिलताओं को कम करने और इष्टतम न्यूरो विकासात्मक परिणामों को अधिकतम करने पर केंद्रित है।

28. नर्स प्रैक्टिशनर इन एनेस्थेसिया (एनपीए) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 50 दिनांक 17 जनवरी, 2025)

नर्स प्रैक्टिशनर इन एनेस्थेसिया (एनपीए) – आवासीय कार्यक्रम पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को नैदानिक विशेषज्ञ, शिक्षक और सलाहकार के रूप में उन्नत अभ्यास भूमिकाओं के लिए तैयार करता है, जो आगे चलकर एम.एससी. नर्सिंग (नर्स प्रैक्टिशनर इन एनेस्थेसिया) बनते हैं। कार्यक्रम में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं जो जटिल स्वास्थ्य प्रणालियों के साक्ष्य आधारित अभ्यास और प्रबंधन सहित मजबूत वैज्ञानिक नींव पर आधारित हैं। ये बी.एससी. नर्सिंग की सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दक्षताओं पर आधारित हैं।

29. नर्स प्रैक्टिशनर इन नेफ्रोलॉजी नर्सिंग (एनपीएनईपीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 51 दिनांक 17 जनवरी, 2025)

नर्स प्रैक्टिशनर इन नेफ्रोलॉजी नर्सिंग (एनपीएनईपीएन) – आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य पंजीकृत बी.एससी. नर्सों को तृतीयक देखभाल केंद्रों में किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार करना है। नर्स प्रैक्टिशनर इन नेफ्रोलॉजी नर्सिंग (एनपीएनईपीएन) जटिल या जीर्ड किडनी/यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित, डायलिसिस लेने वाले और किडनी प्रत्यारोपण के इच्छुक या किडनी प्रत्यारोपण करवा चुके रोगियों को प्राथमिक देखभाल प्रदान करता है।

30. नर्स प्रैक्टिशनर इन पीडियाट्रिक नर्सिंग (एनपीपीएन) – स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 84 दिनांक 30 जनवरी, 2025)

नर्स प्रैक्टिशनर इन पीडियाट्रिक नर्सिंग (एनपीपीएन) – आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य बाल चिकित्सा ओपीडी, बाल चिकित्सा वार्ड, आपातकालीन इकाइयों/पीआईसीयू, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल

समायोजनों में बच्चों को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए पंजीकृत बी.एससी. नर्स तैयार करना है। नर्स प्रैक्टिशनर्स को बाल चिकित्सा ओपीडी, बाल चिकित्सा वार्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों जैसे सामुदायिक और नैदानिक देखभाल दोनों प्रकार के समायोजनों में अभ्यास करना आवश्यक है। नर्सिंग देखभाल जटिल समस्या वाले बच्चों, बच्चों के स्थिरीकरण के गहन आंकलन करने, बुनियादी जांच करने, डॉक्टरों के परामर्श में स्थिति का निदान करने और तीव्र जटिलताओं को कम करने और स्वास्थ्य बहाली को अधिकतम करने के लिए बच्चे के चिकित्सीय प्रबंधन पर केंद्रित है।

31. कार्डियोथोरेसिक स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 839 दिनांक 21 अक्तूबर, 2024)

कार्डियोथोरेसिक स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा एक एक–वर्षीय आवासीय कार्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम की अवधारणा में मूलभूत लघु पाठ्यक्रम और विशेष नर्सिंग अभ्यास के लिए बृहद विशिष्ट पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं। इस कार्यक्रम को हृदय तथा वक्ष–गह्वर संबंधी (कार्डियोथोरेसिक) विकारों से पीड़ित रोगियों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने हेतु विशेष कौशल, जानकारी और प्रवृत्ति वाले नर्स तैयार करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञ नर्स तैयार करना है जो देखभाल के उच्च मानकों को प्रदान करने वाले तृतीयक/चतुर्थक अस्पतालों के कार्डियोथोरेसिक केंद्रों में प्रभावी ढंग से और इष्टतम रूप से कार्य कर सकेंगे।

32. आपातकालीन तथा आपदा स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 840 दिनांक 21 अक्तूबर, 2024)

आपातकालीन तथा आपदा स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक एक–वर्षीय आवासीय कार्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम की अवधारणा में मूलभूत लघु पाठ्यक्रम और विशिष्ट नर्सिंग अभ्यास के लिए प्रमुख विशिष्ट पाठ्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम को आपातकालीन तथा आपदा स्थितियों में रोगियों को गुणवत्तापरक देखभाल प्रदान करने में विशेष कौशल, जानकारी और प्रवृत्ति वाले नर्स तैयार करने के लिए बनाया गया है। आगे, इसका उद्देश्य तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित ऐसे विशेषज्ञ नर्स तैयार करना है जो तृतीयक/चतुर्थक अस्पतालों के आपातकालीन केंद्रों में उच्च–स्तरीय देखभाल प्रदान कर सफलतापूर्वक इष्टतम कार्य कर करेंगे।

33. प्रशामक देखभाल स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम (राजपत्र अधिसूचना संख्या 841 दिनांक 21 अक्तूबर, 2024)

प्रशामक देखभाल स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – आवासीय कार्यक्रम डिप्लोमा तथा बी.एससी. दोनों प्रकार की पंजीकृत नर्सों को प्रशामक देखभाल नर्सिंग में व्यापक ज्ञान, उन्नत कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रशामक देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को सुरक्षित, सक्षम, कानूनी और नैतिक नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, इसे नर्सों को प्रबंधकीय कौशल और जानकारी से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन्हें रोगियों की प्रशामक देखभाल की योजना बनाने, प्रबंधन और पर्यवेक्षण करने में भूमिका निभाने और विभिन्न प्रशामक देखभाल समायोजानों में अन्य नैदानिक नर्सों तथा छात्रों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाएगा। प्रशामक देखभाल विशेषज्ञ नर्स प्रशामक देखभाल इकाइयों की योजना तथा स्थापना पर सलाह देने और मरणशील व मरणासन्न लोगों की देखभाल एवं सुगति में सुधार करने में सक्षम होंगी। ।

34. 28 अगस्त 2024 को अकादमी ऑफ डिजिटल हेल्थ साइंस (एडीएचएस) और भारतीय उपचर्या परिषद् (आईएनसी) के बीच समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन **अकादमी ऑफ डिजिटल हेल्थ साइंस और भारतीय उपचर्या परिषद्** द्वारा डिजिटल कौशल निर्माण, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तथा पेशेवरों के कौशल विकास, और शोध क्षमता एवं छात्रवृत्ति को बढ़ाने में सहयोग करने की पारस्परिक इच्छा व्यक्त करता है।

इस समझौता ज्ञापन में, भारतीय उपचर्या परिषद् ने **अकादमी ऑफ डिजिटल हेल्थ साइंस** और आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर प्रोफेशनल डवलपमेंट प्रोग्राम इन डिजिटल हेल्थ फॉर नर्सेज कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यह एक 6–माह का ऑनलाइन सेल्फ–पेस्ड कार्यक्रम है जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञता विकसित करने के लिए 15 से अधिक मॉड्यूल हैं, जो नर्सों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सेवा की समग्र दक्षता, प्रभावशीलता और गुणवत्ता में योगदान देगा।

35. भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा आयोजित बैठकों/कार्यशालाओं पर अद्यदन जानकारी

- **राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024:** राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार (NFNA) की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नर्सों की सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के प्रतीक के रूप में की गई थी। वर्ष 2018 से, भारत सरकार की ओर से चयन प्रक्रिया का संचालन और पुरस्कार समारोह का आयोजन भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन 11.09.2024 को किया गया था। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कुल 15 (पंद्रह) नर्सिंग कर्मियों को सर्वोच्च मेधावी पुरस्कार प्रदान किए गए।
- **नर्स पंजीकरण तथा ट्रैकिंग प्रणाली (एनआरटीएस) पर कार्यशाला:** राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू–कश्मीर राज्य के रजिस्ट्रार और कार्यालयी कर्मचारियों को प्राथमिक पंजीकरण मॉड्यूल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक राज्य को अलग से प्रदान किया गया।

36. क्यूसीआई के सहयोग से आईएनसी–क्यूसीआई समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत निम्नलिखित संस्थानों का नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों के गुणवत्ता सुधार हेतु आंकलन तथा रेटिंग ढांचे का पायलट परीक्षण किया गया:–

i) महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग

ii) चारनॉक हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट

iii) मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग

37. एएनएम टु जीएनएम – दो वर्षीय ब्रिज कार्यक्रम विकसित किया गया

जिन एएनएम को समुदाय में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, वे अब परिषद् के पाठ्यक्रम और अभ्यास मानकों में दो वर्षीय कार्यक्रम के माध्यम से अपने ज्ञान, दृष्टिकोण, दक्षताओं और कौशल को उन्नत कर सकते हैं और सभी स्वास्थ्य सेवा समायोजनों में कार्य करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग और मिडवाइफरी का प्रदर्शन भी कर सकेंगे।

उपरोक्त ब्रिज कार्यक्रम एएनएम के लिए अपनी शिक्षा को उन्नत करने और जीएनएम के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक करियर पथ तैयार करता है। यह उन्हें नर्सिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर बनने के लिए सीखने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।

38. राजकीय, निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता

वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा कुल 18 (अठारह) निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत परीक्षा संचालन करने और कॉलेजिएट नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए एक अधिकृत परीक्षा प्राधिकरण के रूप में भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की अनुसूची भाग II में शामिल करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

39. भारतीय उपचर्या परिषद् ने संकल्प लिया है कि जीएनएम और बी.एससी. नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए अधिकतम सीटों की संख्या निम्नलिखित मूल अस्पताल शैय्याओं के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है:–

क्र.सं.	मूल अस्पताल शैय्या	दोनों कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान		केवल बी.एससी. नर्सिंग सीटें प्रदान करने वाले संस्थान
1.	100	60	60	60
2.	200	60	80	140
3.	300	100	100	200
4.	500	100	150	250
5.	750 और उससे अधिक	100	200	300

40. 07 (सात) विश्वविद्यालयों की पीएच.डी. नर्सिंग योग्यता को भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा आईएनसी अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत मान्यता दी गई है।

41. भारतीय उपचर्या परिषद् ने साक्ष्य–आधारित नर्सिंग अभ्यास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसरण में, एमजीएम विश्वविद्यालय, मुंबई और कृष्णा विश्व विद्यापीठ, डीम्ड विश्वविद्यालय में डीएनपी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2025-2026 के लिए नियोजित क्रियाकलाप

1. भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 13 व 14 के तहत 500 संस्थानों का निरीक्षण।

2. अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् की कार्यकारी समिति/उपचर्या शिक्षा समिति/साधारण निकाय की बैठकों का आयोजन।
3. राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रारों की वार्षिक बैठक का आयोजन।
4. सभी राज्यों में एनआरटीएस (लाइव रजिस्टर) के तहत प्राथमिक पंजीकरण का कार्यान्वयन।
5. डिग्री प्रोग्राम योग्यता प्राप्त करने के लिए पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम (क्लिनिकल स्पेशलिस्ट) की अतिरिक्त योग्यता हासिल करने वाले जीएनएम के लिए मॉड्यूल का विकास।
6. बी.एससी. नर्सिंग अभ्यर्थियों, जिन्होंने एनपीएम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, के लिए छः माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास; जिसके बाद इन अभ्यर्थियों को नर्सिंग में स्नातकोत्तर के समकक्ष नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की डिग्री मिलेगी।
7. एड–हॉक इंस्पेक्टरों का ओरिएंटेशन।
8. सिमुलेशन के माध्यम से संकाय प्रशिक्षण।
9. पैन इंडिया स्तर पर एलएफसी कार्यक्रम की शुरुआत।
10. एएनएम से जीएनएम – दो वर्षीय ब्रिज कार्यक्रम को राजपत्रित किया जाएगा।
11. परिषद् द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों में पीएच.डी. नर्सिंग कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश को राजपत्रित किया जाएगा।

हमारे प्रकाशन

क्र.सं.	मूल्य निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तिकाओं के नाम
1.	ए.एन.एम. पाठ्यक्रम
2.	जी.एन.एम. पाठ्यक्रम – 3 वर्षीय (संसोधित 2015)
3.	बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (2020)
4.	अनिवार्य मॉड्यूल
5.	पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम
6.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्पेशियलिटी नर्सिंग
7.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो–थोरेकिक नर्सिंग
8.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग
9.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड डिसास्टर नर्सिंग
10.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन फोरेंसिक नर्सिंग

क्र.सं.	मूल्य निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तिकाओं के नाम
11.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन गेरोंटोलॉजीकल नर्सिंग
12.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन हेमेटोलॉजी नर्सिंग
13.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नियोनेटल नर्सिंग
14.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूरोसाइंस नर्सिंग
15.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्स प्रक्टिशनर इन मिडवाइफरी
16.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑनकोलॉजी नर्सिंग
17.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग
18.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपायडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग
19.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक/मेंटल हेल्थ नर्सिंग
20.	नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम (सिलेबस एंड रेगुलेशन)
21.	नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम (गाइडबुक फॉर एनपीसीसी करीकुलम)
क्र.सं.	**मूल्य निर्धारित अन्य प्रकाशनों के नाम**
1.	क्लिनिकल एसाइनमेंट – गाइडलाइंस
2.	कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट
3.	भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947
4.	भारतीय उपचर्या परिषद् विनियम
5.	लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स (कौशल प्रयोगशाला वस्तुओं सहित)
6.	प्रक्टिकल रिकॉर्ड बुक
7.	टीचिंग मेटिरियल फॉर क्वालिटी एस्योरेंश मॉडल नर्सिंग
8.	प्रेक्टिश स्टेण्डर्ड्स फॉर साइकियाट्रिक–मेंटल हेल्थ नर्सिंग
9.	नर्स स्टेण्डर्ड्स फॉर क्रिटिकल केयर (आईएनसी–पीएससीसीएनपी)

Annual Report
2024-2025

Indian Nursing Council

STRIVING TO ACHIEVE UNIFORM STANDARDS OF NURSING EDUCATION

CONTENTS

		Page
1.	Introduction	39
2.	Aims	39
3.	Functions	39
4.	Composition of the Council	40
5.	Organisational Structure	41
6.	Committees	41
7.	Use of Hindi as Official Language	42
8.	Equivalency of Foreign Qualification	42
9.	Court Cases	43
10.	Sources of Income	43
11.	Activities Completed during 2024-2025	44
	* List of State recognized schools of nursing and colleges of nursing found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947	44
	* Total number of inspections conducted by Indian Nursing Council during FY 2024-25 under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947	44
	* Total number of State recognized nursing institutions and found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 as on 31st March 2025	44
	* Distribution of Nursing Programs as on 31st March 2025	45
	* Distribution of Nursing Programs in different States as on 31st March 2025	46
	* State-wise Total Number of Nursing Educational Institutions as on 31st March 2025	47
	* State-wise Distribution of ANM & GNM Programs as on 31st March 2025	48
	* State-wise Distribution of B.Sc. Nursing & M.Sc. Nursing Programs as on 31st March 2025	49
	* State-wise Distribution of P.B.B.Sc. Nursing & Post Basic Diploma Program (PBDP) as on 31st March 2025	50

Page

* State-wise Distribution of Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC) & NPM Educator Programs as on 31st March 2025 51
* Program-wise Growth of Nursing Institutions 52
* Growth of Auxiliary Nursing & Midwifery (ANM) Schools 53
* Growth of General Nursing & Midwifery (GNM) Schools 54
* Growth of B.Sc. Nursing Colleges 55
* Growth of M.Sc. Nursing Colleges 56
* Statewise Number of Registered Nurses in India 57
* Year-wise Total Number of Registered ANM, RN&RM & Lady Health Visitors 58
* National Reference Simulation Centre (NRSC) 59
* National Consortium for Ph.D. in Nursing 59
* Leadership for Change (LFC) 59
* Orientation Workshop for Ad-hoc Inspectors 60
* INC Website www.indiannursingcouncil.org 60
* Gazette Notifications & Circulars related to Nursing Education placed on INC website during FY 2024-25 61
* E-Learning Modules on CNE for in-service Nurses placed on INC website during FY 2024-25 61
* E-office & E-application 61
* Live Register of Nurses 61
* Details of Nursing Programs gazetted during FY 2024-25 62
* MOU between Academy of Digital Health Sciences (ADHS) and Indian Nursing Council (INC) 64
* Updates on Meetings/Workshops conducted by INC 65
* Institutions for which pilot testing of framework for the assessment and rating of Nursing Educational Institutions for quality improvement conducted in collaboration with QCI under INC-QCI memorandum of understanding (MoU) 65
* Developed ANM to GNM - Two year bridge program 65
* Recognition of State, Private/Deemed University 65
* Number of seats which can be sanctioned for GNM and B.Sc. Nursing programs 65
* Universities for which Ph.D. Nursing qualification has been recognised by Indian Nursing Council under section 10 of INC Act, 1947 66
* INC MoU with the University of Houston 66

12. Activities Planned for the Year 2025-2026 66

13. Our Publications 67

Introduction

The Indian Nursing Council is an autonomous body under the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. The Indian Nursing Council Act, 1947 enacted by Parliament gives statutory powers to the Council to maintain uniform standards and regulation of nursing education all over the Country.

Aims

To establish a uniform standard of training for nurses, midwives and health visitors.

Functions

1. To establish and monitor uniform standards of nursing for nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and health visitors' education by doing inspection of the recognised training nursing institution under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947 in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching faculty, Clinical and Infrastructural facilities in conformity with Regulations framed under the provisions of the Indian Nursing Council Act, 1947.
2. To recognise the qualification(s) under Section 10(2)(4) of the Indian Nursing Council Act, 1947 for the purpose of registration and employment in India and abroad.
3. To prescribe minimum standards of education and training in various nursing programs and prescribe the syllabus & regulations for nursing programs under Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947.
4. Power to withdraw the recognition of qualification under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 in case the institution fails to maintain its standards under Section 14(1)(b) of the Act when an institution recognised by a State Council for the training of nurses, midwives, auxiliary nurse midwives or health visitors does not satisfy the requirements of the Council.
5. To recognise Degree/Diploma/Certificate awarded by Foreign Universities.
6. To give approval for registration of Indian and Foreign Nurses possessing foreign qualification under Section 11(2)(a) of the Indian Nursing Council Act, 1947.
7. To maintain Indian Nurses Register for registration of nursing personnel under Section 15-A of the Indian Nursing Council Act, 1947.
8. To advise the State Nursing Councils, Examining Boards, State Governments and Central Government in various important items regarding nursing education in the country.
9. To promote research in nursing.
10. To prescribe code of ethics and professional conduct.
11. To regulate the policies of nursing programs in the field of nursing to improve the quality of nursing education.

Composition of the Council

Section No.	Section Detail	Total Membership
3(1)(a)	State Councils of Nursing (Nurse)	29
3(1)(b)	Head of Institutions (Universities)	2
3(1)(c)	Head of Institutions (Health Visitors)	1
3(1)(d)	Medical Council of India (MCI)	1
3(1)(e)	Indian Medical Association (IMA)	1
3(1)(f)	Trained Nurses Association of India (TNAI)	1
3(1)(g)	State Councils of Nursing (Midwife/ANM) on rotation	4
3(1)(h)	Director General of Health Services (DGHS) – ex-officio	1
3(1)(i)	Chief Matron, Army Headquarters – ex-officio	1
3(1)(j)	Nursing Adviser – ex-officio	1
3(1)(k)	Director of Maternity, Indian Red Cross Society – ex-officio	1
3(1)(l)	Director of Health/ME (States)	28
3(1)(m)	Superintendent of Nursing Services	8
3(1)(n)	Government of India Nomination	4
3(1)(o)	Members of Parliament	3
Total		**86**

Organisational Structure

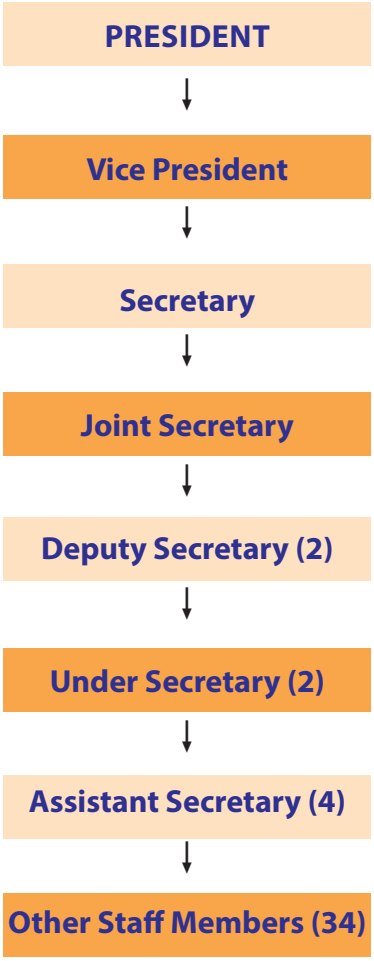

Following are the office bearers of the Council:-

Dr. T. Dileep Kumar	–	President
Dr. Jogendra Sharma	–	Vice President

Following are the officers of the Council:-

Lt. Col. (Dr.) Sarvjeet Kaur	–	Secretary
Mrs. Jyothi B.	–	Deputy Secretary

Committees

1. **Executive Committee of the Council –** To deliberate on the issues related to maintenance of standards of nursing education programs.

2. **The Nursing Education Committee –** To deliberate on the issues concerning nursing education.

3. **Equivalence Committee –** To deliberate on the issues of recognition of foreign qualifications for the purpose of registration under Section 11(2)(a) or (b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, as amended.
4. **Finance Advisory Committee –** To deliberate on purchase & any other financial issues.
5. **Vigilance Committee –** To deliberate on the ethical issues to be followed by nurses & unethical practice if found guilty action to be recommended.
6. **Departmental Promotional Committee**
7. **Anti-Ragging Committee**
8. There are other various sub-committees constituted by the Council from time to time for revision of various nursing programs.
9. **Sexual Harassment Prevention Committee**

Use of Hindi as Official Language

The letters received in Hindi from different States are generally replied in Hindi. Efforts are being made to promote use of Hindi in writing notes and other correspondence as well as on Indian Nursing Council Website.

Equivalency of Foreign Qualification

1. Indian citizens possessing foreign nursing qualification are examined individually & after examination of the syllabi and confirmation from concerned foreign authorities, the nurses are granted approval for registration in India with the recommendation of equivalence committee under Section 11(2)(a) of the Indian Nursing Council Act, 1947.
2. Indian Nationals who are registered nurses and midwives in India and have acquired foreign Nursing degree shall obtain equivalency from Indian Nursing Council, before registering their additional qualification in the respective State Nursing and Midwifery Registration Council.
3. The foreign Nationals possessing foreign qualification can also work in charitable institutions for a limited period with the approval of President, Indian Nursing Council. Their transcripts are evaluated/examined by the Equivalence Committee Members and if they are found at par, temporary permission is granted under Section 11(2)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947 for employment in charitable institutions.
4. If, the foreign Nationals (including Nepali, Bangladeshi and Bhutanese) who are Registered Nurses and Registered Midwives in their own country, they can be admitted for higher nursing education in India, i.e. they can be admitted to P.B.B.Sc. Nursing Program and M.Sc. Nursing except OBG. However, they will not be registered to practice in India. Even no temporary registration will be provided to them.
   - for admission to ANM, GNM, B.Sc. Nursing the entry qualification equivalency i.e. 12th standard will be obtained by Association of Indian Universities. Nursing educational institution, State Nursing Council, Universities will be responsible to ensure that the qualification and eligibility shall be equivalent to what has been prescribed by Indian Nursing Council.

5. With regard to qualification granted by five English speaking countries (New Zealand, Australia, USA, Canada, UK) to the NRI, the candidates' qualification is found equivalent subject to the following conditions:
   - shall be holding registered nurse license to practice in that country with the said qualification;
   - if NRI candidates undergo PG nursing from the five English speaking countries, PG qualification will be recognised as higher qualification if the duration of the PG course is two years and it shall be regular course.

   During the year 28 cases for equivalency were received, and 21 cases have been decided.

Court Cases

147 Court Cases were registered in various High Courts of India during the year 2024-2025. 63 cases were disposed of.

Sources of Income

Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2025 (2024-2025)			
			Amount in Rs.
INCOME		**EXPENDITURE**	
Particular	**Amount**	**Particular**	**Amount**
Income from Sales of Publication	12,90,700.00	Establishment Expenses	6,32,80,036.00
Grants from Government of India		Others Administrative Expenses etc.	18,81,65,760.00
Fees	22,69,59,139.00	Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)	2,56,71,153.00
Interest Earned	5,23,13,256.00		
Other Income	1,29,24,237.00	Other Expenditure	
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods	2,65,110.00		
Total – A	**29,32,22,222.00**	**Total – B**	**27,71,16,948.00**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			**1,61,05,274.00**
Balance being Surplus/(Deficit) carried to Corpus/Capital Fund			**1,61,05,274.00**

Activities Completed during 2024-2025

1. List of State recognized schools of nursing and colleges of nursing found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 are being published and updated periodically on the website.

2. **In order to have uniformity of nursing education standards, inspections of nursing institutions are conducted under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947.**

   A total of 3940 inspections under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947 were conducted during 2024-2025 financial year. The break-up is as given below:-

Programs	Total
ANM	829
GNM	1260
B.Sc. Nursing	1031
M.Sc. Nursing	254
P.B.B.Sc. Nursing	397
Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC)	33
Nurse Practitioner in Midwifery (NPM)	1
Post Basic Diploma Program (PBDP)	96
Ph.D. in Nursing	8
Upgradation (conversion of GNM to B.Sc. Nursing)	31

3. **Total number of State recognized nursing institutions and found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 as on 31st March 2025 for the various nursing programs is as follows:**

Programs	Total
ANM	1941
GNM	3183
B.Sc. Nursing	2538
P.B.B.Sc. Nursing	834
M.Sc. Nursing	771
Post Basic Diploma Program (PBDP)	239
Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC)	68
NPM Educator	7

Distribution of Nursing Programs as on 31st March 2025

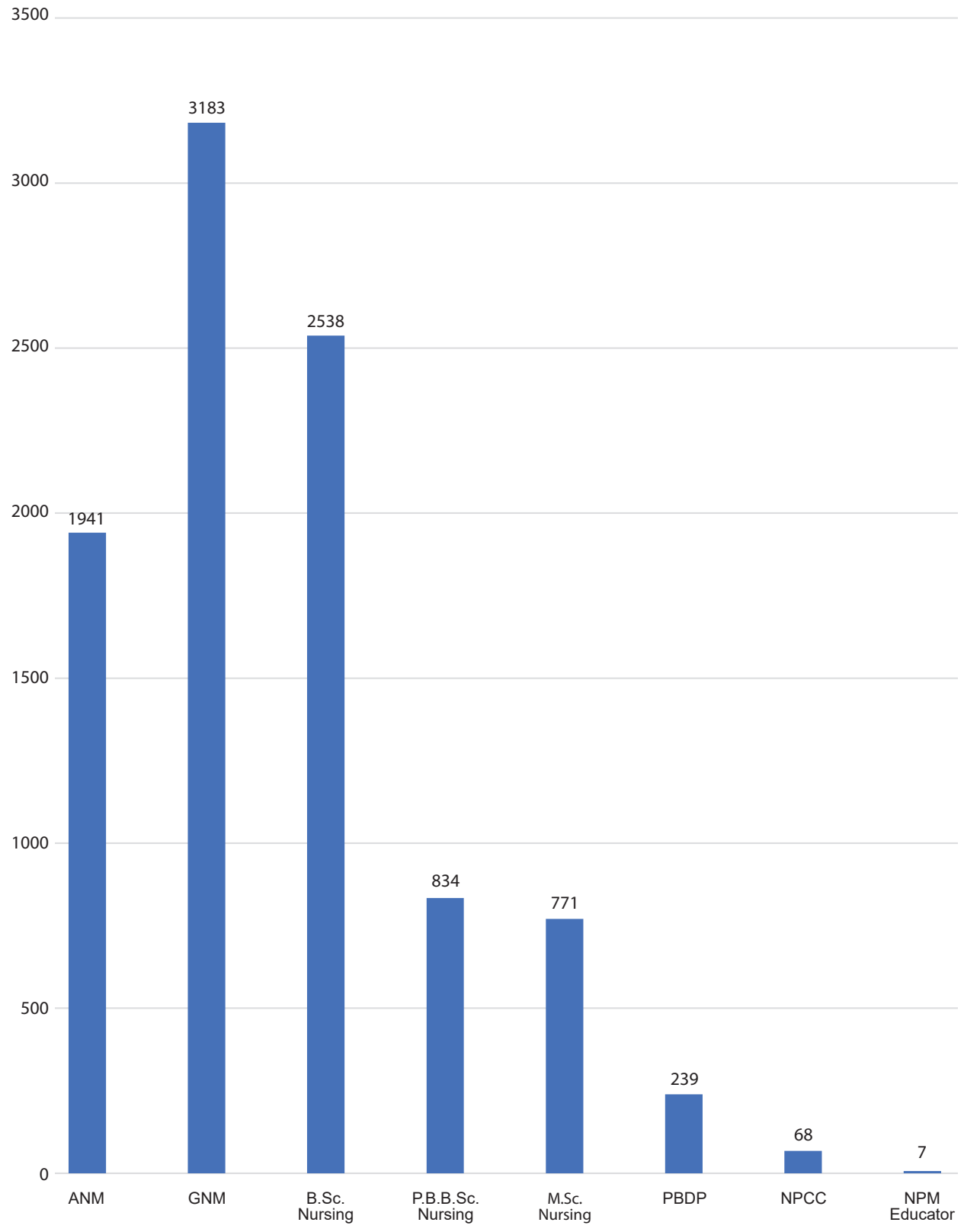

Distribution of Nursing Programs in different States as on 31st March 2025

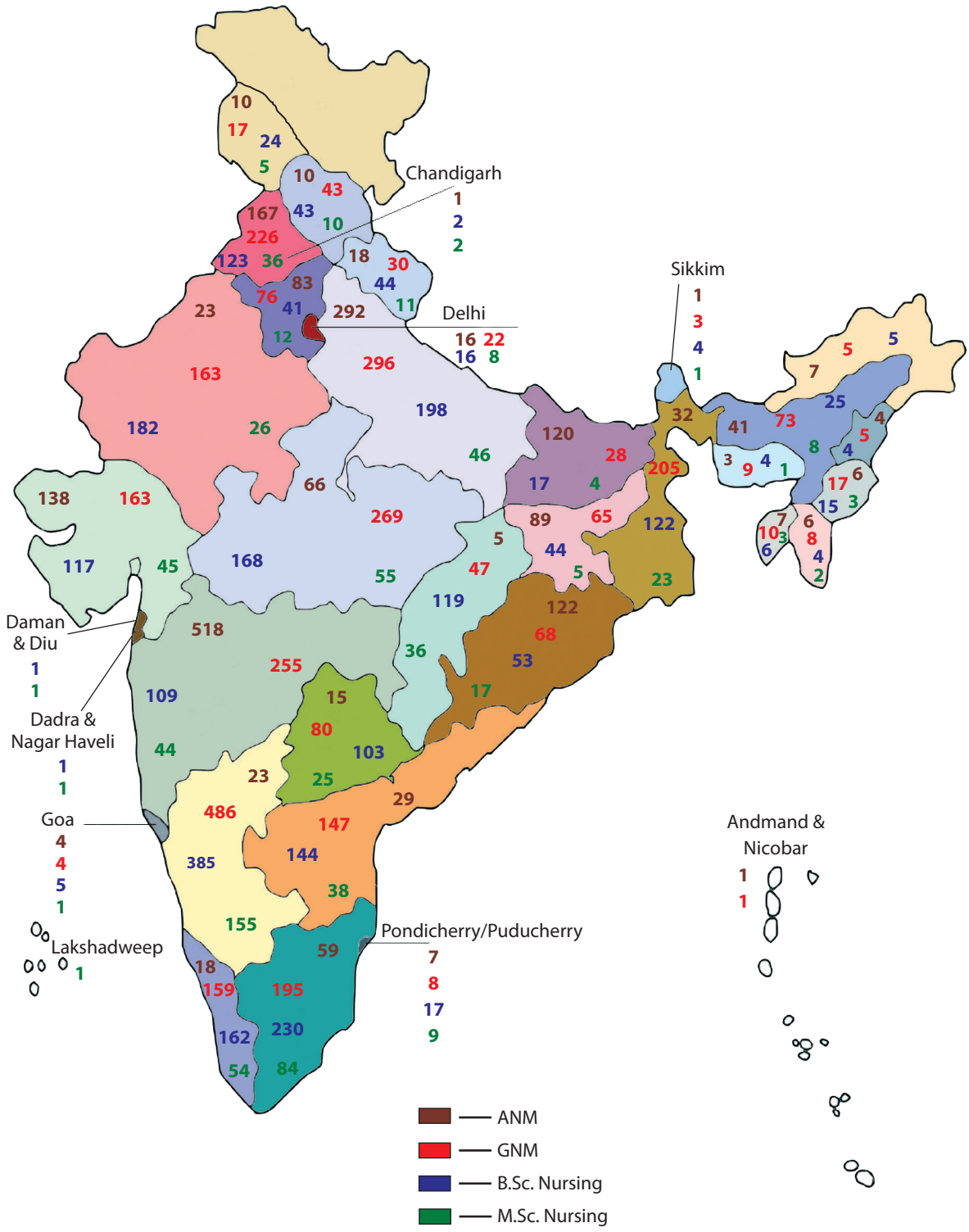

4. State-wise Total Number of Nursing Educational Institutions as on 31st March 2025

State Name	Total No. of Institutions		
	Government	Private	Total
Andaman & Nicobar	1	0	1
Andhra Pradesh	19	246	265
Arunachal Pradesh	6	9	15
Assam	30	67	97
Bihar	57	82	139
Chandigarh	4	0	4
Chhattisgarh	20	110	130
Dadra & Nagar Haveli	1	0	1
Daman & Diu	1	0	1
Delhi	17	28	45
Goa	2	4	6
Gujarat	52	175	227
Haryana	13	98	111
Himachal Pradesh	10	52	62
Jammu & Kashmir	8	29	37
Jharkhand	17	111	128
Karnataka	38	614	652
Kerala	52	223	275
Ladakh	0	0	0
Lakshadweep	1	0	1
Madhya Pradesh	40	303	343
Maharashtra	63	624	687
Manipur	5	26	31
Meghalaya	5	9	14
Mizoram	10	6	16
Nagaland	4	6	10
Orissa	36	143	179
Pondicherry/Puducherry	6	14	20
Punjab	23	237	260
Rajasthan	58	232	290
Sikkim	2	3	5
Tamil Nadu	41	326	367
Telangana	21	141	162
Tripura	5	12	17
Uttar Pradesh	34	360	394
Uttarakhand	16	41	57
West Bengal	88	173	261
Grand Total	**806**	**4504**	**5310**
%	**15.18%**	**84.82%**	**100%**

5. State-wise Distribution of ANM & GNM Programs as on 31st March 2025

State	ANM						GNM					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	1	0	30	0	1	30	1	0	20	0	1	20
Andhra Pradesh	3	26	100	740	29	840	9	138	440	5930	147	6370
Arunachal Pradesh	4	3	80	80	7	160	0	5	0	200	5	200
Assam	11	30	310	845	41	1155	22	51	1064	2090	73	3154
Bihar	48	72	2090	2735	120	4825	8	20	406	1015	28	1421
Chandigarh	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
Chhattisgarh	5	0	210	0	5	210	10	37	345	1235	47	1580
Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	2	14	80	530	16	610	2	20	90	860	22	950
Goa	1	3	40	120	4	160	1	3	50	130	4	180
Gujarat	26	112	790	3500	138	4290	23	140	980	6435	163	7415
Haryana	8	75	250	2380	83	2630	6	70	220	2850	76	3070
Himachal Pradesh	2	8	70	220	10	290	7	36	220	1360	43	1580
Jammu & Kashmir	0	10	0	335	10	335	0	17	0	715	17	715
Jharkhand	10	79	320	2640	89	2960	4	61	140	2645	65	2785
Karnataka	11	12	330	340	23	670	17	469	746	22775	486	23521
Kerala	7	11	185	350	18	535	19	140	581	4687	159	5268
Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	18	48	625	1545	66	2170	11	258	560	10260	269	10820
Maharashtra	33	485	810	10710	518	11520	38	217	1239	6805	255	8044
Manipur	3	3	100	80	6	180	2	15	60	540	17	600
Meghalaya	2	1	50	15	3	65	3	6	100	215	9	315
Mizoram	5	1	130	30	6	160	4	4	80	140	8	220
Nagaland	1	3	30	70	4	100	1	4	40	170	5	210
Orissa	22	100	830	3005	122	3835	2	66	80	2600	68	2680
Pondicherry/Puducherry	2	5	42	130	7	172	2	6	60	230	8	290
Punjab	7	160	240	5840	167	6080	10	216	470	11043	226	11513
Rajasthan	17	6	435	180	23	615	14	149	805	7160	163	7965
Sikkim	1	0	20	0	1	20	1	2	20	60	3	80
Tamil Nadu	12	47	640	1480	59	2120	25	170	2130	5035	195	7165
Telangana	3	12	60	365	15	425	6	74	300	3352	80	3652
Tripura	3	4	125	170	7	295	2	8	90	340	10	430
Uttar Pradesh	11	281	260	10640	292	10900	6	290	220	13065	296	13285
Uttarakhand	6	12	120	335	18	455	3	27	110	1016	30	1126
West Bengal	26	6	1490	240	32	1730	45	160	2957	9429	205	12386
Grand Total	**312**	**1629**	**10912**	**49650**	**1941**	**60562**	**304**	**2879**	**14623**	**124387**	**3183**	**139010**
%	**16.08%**	**83.92%**	**18.02%**	**81.98%**	**100%**	**100%**	**09.55%**	**90.45%**	**10.52%**	**89.48%**	**100%**	**100%**

6. State-wise Distribution of B.Sc. Nursing & M.Sc. Nursing Programs as on 31st March 2025

State	B.Sc. Nursing						M.Sc. Nursing					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andhra Pradesh	12	132	695	7060	144	7755	5	33	190	595	38	785
Arunachal Pradesh	2	3	60	110	5	170	0	0	0	0	0	0
Assam	4	21	230	1070	25	1300	3	5	65	69	8	134
Bihar	5	12	290	760	17	1050	1	3	10	85	4	95
Chandigarh	2	0	120	0	2	120	2	0	24	0	2	24
Chhattisgarh	8	111	410	5105	119	5515	8	28	167	520	36	687
Dadra & Nagar Haveli	1	0	60	0	1	60	1	0	20	0	1	20
Daman & Diu	1	0	50	0	1	50	1	0	20	0	1	20
Delhi	12	4	545	210	16	755	5	3	93	60	8	153
Goa	1	4	100	180	5	280	1	0	25	0	1	25
Gujarat	9	108	450	5415	117	5865	5	40	100	792	45	892
Haryana	4	37	205	2280	41	2485	1	11	30	237	12	267
Himachal Pradesh	2	41	120	1650	43	1770	2	8	55	171	10	226
Jammu & Kashmir	8	16	420	820	24	1240	0	5	0	108	5	108
Jharkhand	2	42	110	2080	44	2190	1	4	10	85	5	95
Karnataka	13	372	1025	20715	385	21740	7	148	110	3089	155	3199
Kerala	29	133	1890	8155	162	10045	10	44	202	723	54	925
Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakshadweep	1	0	30	0	1	30	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	16	152	1045	7235	168	8280	6	49	190	963	55	1153
Maharashtra	9	100	470	4905	109	5375	5	39	76	725	44	801
Manipur	2	13	90	470	15	560	2	1	20	8	3	28
Meghalaya	1	3	50	120	4	170	1	0	10	0	1	10
Mizoram	2	2	80	60	4	140	2	0	35	0	2	35
Nagaland	2	2	60	90	4	150	0	0	0	0	0	0
Orissa	12	41	825	2263	53	3088	3	14	95	400	17	495
Pondicherry/Puducherry	4	13	275	950	17	1225	2	7	47	146	9	193
Punjab	8	115	420	6250	123	6670	3	33	75	700	36	775
Rajasthan	32	150	2150	7135	182	9285	8	18	203	275	26	478
Sikkim	1	3	40	160	4	200	0	1	0	25	1	25
Tamil Nadu	5	225	250	14670	230	14920	2	82	65	1734	84	1799
Telangana	14	89	970	5330	103	6300	1	24	30	503	25	533
Tripura	1	5	50	240	6	290	0	3	0	57	3	57
Uttar Pradesh	17	181	1030	8280	198	9310	4	42	110	928	46	1038
Uttarakhand	8	36	420	1798	44	2218	2	9	34	181	11	215
West Bengal	26	96	1735	5985	122	7720	13	10	326	170	23	496
Grand Total	**276**	**2262**	**16770**	**121551**	**2538**	**138321**	**107**	**664**	**2437**	**13349**	**771**	**15786**
%	**10.87%**	**89.13%**	**12.12%**	**87.88%**	**100%**	**100%**	**13.88%**	**86.12%**	**15.44%**	**84.56%**	**100%**	**100%**

7. State-wise Distribution of P.B.B.Sc. Nursing & Post Basic Diploma Program (PBDP) as on 31st March 2025

State	P.B.B.Sc. Nursing						Post Basic Diploma Program (PBDP)					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andhra Pradesh	2	31	40	880	33	920	4	7	60	70	11	130
Arunachal Pradesh	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
Assam	0	7	0	215	7	215	2	2	50	20	4	70
Bihar	1	5	40	170	6	210	0	3	0	40	3	40
Chandigarh	1	0	40	0	1	40	0	0	0	0	0	0
Chhattisgarh	1	18	20	525	19	545	2	1	40	10	3	50
Dadra & Nagar Haveli	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	2	2	50	50	4	100	10	3	180	40	13	220
Goa	1	0	10	0	1	10	3	0	60	0	3	60
Gujarat	1	45	30	1375	46	1405	4	3	75	30	7	105
Haryana	1	29	30	870	30	900	2	5	30	55	7	85
Himachal Pradesh	2	16	60	400	18	460	0	0	0	0	0	0
Jammu & Kashmir	0	4	0	170	4	170	0	0	0	0	0	0
Jharkhand	1	7	30	210	8	240	2	0	21	0	2	21
Karnataka	5	155	180	5815	160	5995	13	22	170	280	35	450
Kerala	4	24	140	655	28	795	6	14	76	185	20	261
Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	8	53	400	1585	61	1985	0	6	0	65	6	65
Maharashtra	2	46	70	1365	48	1435	14	15	209	205	29	414
Manipur	0	4	0	90	4	90	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	1	0	30	1	30	0	0	0	0	0	0
Mizoram	1	0	30	0	1	30	0	0	0	0	0	0
Nagaland	0	1	0	20	1	20	0	0	0	0	0	0
Orissa	2	14	110	500	16	610	17	1	210	10	18	220
Pondicherry/Puducherry	1	6	25	195	7	220	2	0	20	0	2	20
Punjab	7	96	235	3200	103	3435	5	2	58	30	7	88
Rajasthan	2	45	45	1295	47	1340	0	0	0	0	0	0
Sikkim	0	2	0	70	2	70	0	0	0	0	0	0
Tamil Nadu	2	57	90	1890	59	1980	4	28	80	385	32	465
Telangana	1	18	10	545	19	555	3	14	75	215	17	290
Tripura	0	2	0	50	2	50	0	0	0	0	0	0
Uttar Pradesh	2	60	80	1780	62	1860	5	0	80	0	5	80
Uttarakhand	1	13	30	430	14	460	0	0	0	0	0	0
West Bengal	10	10	570	425	20	995	8	7	135	105	15	240
Grand Total	**62**	**772**	**2385**	**24815**	**834**	**27200**	**106**	**133**	**1629**	**1745**	**239**	**3374**
%	**07.43%**	**92.57%**	**08.77%**	**91.23%**	**100%**	**100%**	**44.35%**	**55.65%**	**48.28%**	**51.72%**	**100%**	**100%**

8. State-wise Distribution of Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC) & NPM Educator Programs as on 31st March 2025

State	Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC)						NPM Educator					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andhra Pradesh	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assam	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
Bihar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chhattisgarh	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	0	3	0	40	3	40	0	0	0	0	0	0
Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gujarat	1	2	10	20	3	30	1	0	30	0	1	30
Haryana	1	3	15	50	4	65	0	0	0	0	0	0
Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jammu & Kashmir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jharkhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karnataka	2	11	15	165	13	180	0	0	0	0	0	0
Kerala	0	5	0	80	5	80	0	0	0	0	0	0
Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	0	2	0	20	2	20	0	0	0	0	0	0
Maharashtra	0	7	0	130	7	130	0	1	0	30	1	30
Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pondicherry/Puducherry	0	1	0	10	1	10	0	0	0	0	0	0
Punjab	1	2	5	20	3	25	1	0	30	0	1	30
Rajasthan	1	1	25	20	2	45	0	0	0	0	0	0
Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamil Nadu	0	9	0	115	9	115	1	0	6	0	1	6
Telangana	0	4	0	80	4	80	1	1	30	30	2	60
Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uttar Pradesh	0	5	0	80	5	80	0	0	0	0	0	0
Uttarakhand	1	2	20	25	3	45	0	0	0	0	0	0
West Bengal	0	1	0	10	1	10	1	0	30	0	1	30
Grand Total	**7**	**61**	**90**	**895**	**68**	**985**	**5**	**2**	**126**	**60**	**7**	**186**
%	**10.29%**	**89.71%**	**09.14%**	**90.86%**	**100%**	**100%**	**71.43%**	**28.57%**	**67.74%**	**32.26%**	**100%**	**100%**

Program-wise Growth of Nursing Institutions

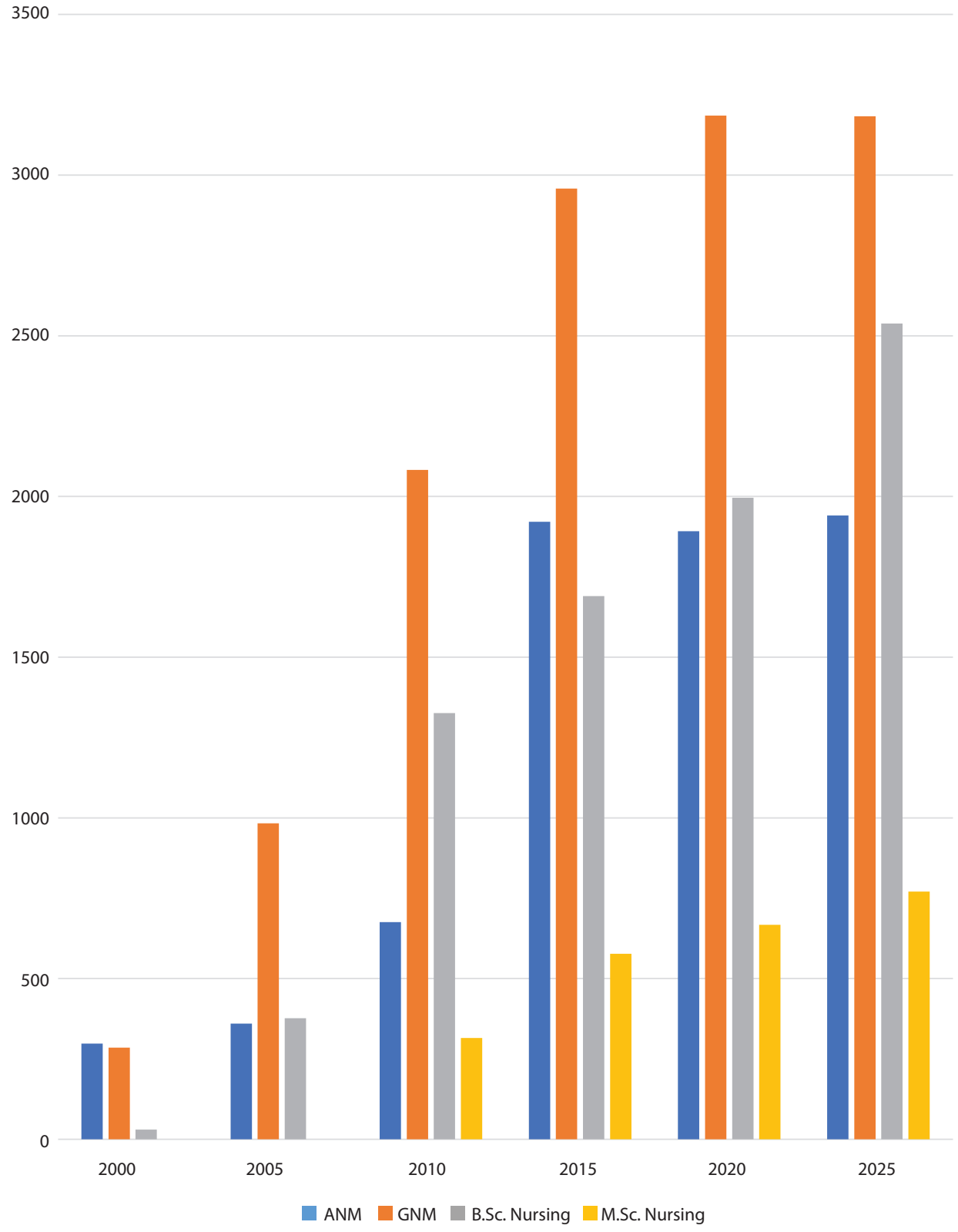

9. Growth of Auxiliary Nursing & Midwifery (ANM) Schools

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	Andaman & Nicobar	1	1	1	1	1	1
2	Andhra Pradesh	50	49	34	69	31	29
3	Arunachal Pradesh	1	1	2	4	7	7
4	Assam	5	6	7	19	35	41
5	Bihar	19	21	27	75	111	120
6	Chandigarh	1	1	0	1	1	1
7	Chhattisgarh	3	4	8	93	5	5
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	1	1	4	7	10	16
11	Goa	1	1	1	2	2	4
12	Gujarat	3	4	8	99	133	138
13	Haryana	8	13	40	82	87	83
14	Himachal Pradesh	8	8	6	8	9	10
15	Jammu & Kashmir	1	1	3	15	14	10
16	Jharkhand	13	15	14	49	65	89
17	Karnataka	7	5	26	43	26	23
18	Kerala	26	25	14	19	18	18
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	19	20	76	111	90	66
21	Maharashtra	25	27	180	572	544	518
22	Manipur	1	3	6	11	7	6
23	Meghalaya	1	2	2	2	3	3
24	Mizoram	2	2	3	3	4	6
25	Nagaland	1	1	1	1	2	4
26	Orissa	22	22	50	131	129	122
27	Pondicherry/Puducherry	0	1	1	4	7	7
28	Punjab	12	35	49	176	168	167
29	Rajasthan	15	16	11	29	26	23
30	Sikkim	1	1	0	1	1	1
31	Tamil Nadu	13	15	13	37	46	59
32	Telangana	–	–	–	–	17	15
33	Tripura	0	1	2	3	5	7
34	Uttar Pradesh	29	29	26	180	243	292
35	Uttarakhand	5	5	6	20	20	18
36	West Bengal	4	24	55	54	25	32
	Grand Total	**298**	**360**	**676**	**1921**	**1892**	**1941**
	Growth in %		**20.80%**	**87.77%**	**184.17%**	***(–) 1.51%**	**2.59%**

*1. (–) Closure of Nursing Institutions due to no admission.
2. (–) ANMs are required to man the sub-centres. Many States are closing down the ANM programs due to oversupply.

10. Growth of General Nursing & Midwifery (GNM) Schools

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	Andaman & Nicobar	0	1	1	1	1	1
2	Andhra Pradesh	53	130	245	253	156	147
3	Arunachal Pradesh	1	2	2	5	7	5
4	Assam	4	11	17	30	55	73
5	Bihar	9	13	9	16	26	28
6	Chandigarh	0	0	0	0	0	0
7	Chhattisgarh	0	2	12	58	82	47
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	1	1	0	0
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	8	16	21	18	18	22
11	Goa	0	1	2	1	1	4
12	Gujarat	15	23	51	102	152	163
13	Haryana	3	19	42	78	83	76
14	Himachal Pradesh	3	6	26	35	43	43
15	Jammu & Kashmir	1	2	5	16	17	17
16	Jharkhand	1	1	16	24	29	65
17	Karnataka	47	283	526	519	475	486
18	Kerala	42	92	220	209	176	159
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	8	24	69	313	395	269
21	Maharashtra	28	60	109	254	265	255
22	Manipur	0	4	7	13	16	17
23	Meghalaya	1	5	7	7	8	9
24	Mizoram	1	4	5	5	6	8
25	Nagaland	1	1	1	4	5	5
26	Orissa	4	10	40	76	78	68
27	Pondicherry/Puducherry	0	1	2	5	9	8
28	Punjab	12	79	149	214	211	226
29	Rajasthan	3	55	157	173	168	163
30	Sikkim	0	0	0	2	2	3
31	Tamil Nadu	21	72	169	210	207	195
32	Telangana	–	–	–	–	88	80
33	Tripura	0	3	3	5	6	10
34	Uttar Pradesh	8	35	114	228	287	296
35	Uttarakhand	0	0	6	19	32	30
36	West Bengal	11	28	49	64	81	205
	Grand Total	**285**	**983**	**2083**	**2958**	**3185**	**3183**
	Growth in %		**244.91%**	**111.90%**	**42.00%**	**0.0767**	***(–) 0.06%**

*Closure of Nursing Institutions due to no admission & volunteer upgradation of School of Nursing to College of Nursing.

11. Growth of B.Sc. Nursing Colleges

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	1	76	215	225	145	144
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	1	1	5
4	Assam	1	1	6	10	17	25
5	Bihar	0	0	0	4	10	17
6	Chandigarh	1	1	1	2	2	2
7	Chhattisgarh	0	5	35	71	98	119
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	1	1	1
9	Daman & Diu	0	0	0	0	1	1
10	Delhi	3	5	11	11	14	16
11	Goa	0	0	3	3	3	5
12	Gujarat	1	3	27	52	103	117
13	Haryana	0	2	19	32	39	41
14	Himachal Pradesh	0	0	7	16	31	43
15	Jammu & Kashmir	0	0	4	5	16	24
16	Jharkhand	0	0	4	7	10	44
17	Karnataka	6	160	315	334	314	385
18	Kerala	1	12	104	126	132	162
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	1
20	Madhya Pradesh	1	18	86	133	188	168
21	Maharashtra	3	12	75	97	104	109
22	Manipur	0	0	1	6	8	15
23	Meghalaya	0	0	1	2	2	4
24	Mizoram	0	1	2	2	3	4
25	Nagaland	0	0	0	1	1	4
26	Orissa	0	4	14	18	36	53
27	Pondicherry/Puducherry	0	5	10	14	15	17
28	Punjab	3	16	82	101	108	123
29	Rajasthan	1	4	116	152	149	182
30	Sikkim	0	1	1	2	3	4
31	Tamil Nadu	7	46	138	172	188	230
32	Telangana	–	–	–	–	86	103
33	Tripura	0	0	1	4	4	6
34	Uttar Pradesh	0	2	28	58	111	198
35	Uttarakhand	0	1	5	10	23	44
36	West Bengal	1	2	15	18	30	122
	Grand Total	**30**	**377**	**1326**	**1690**	**1996**	**2538**
	Growth in %		**1156.66%**	**251.72%**	**27.45%**	**18.11%**	**27.15%**

12. Growth of M.Sc. Nursing Colleges

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	0	2	29	55	36	38
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
4	Assam	0	0	3	5	7	8
5	Bihar	0	0	0	0	1	4
6	Chandigarh	0	1	1	1	1	2
7	Chhattisgarh	0	0	10	16	21	36
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	1	1
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	1
10	Delhi	1	1	3	4	7	8
11	Goa	0	0	0	1	1	1
12	Gujarat	0	0	2	9	20	45
13	Haryana	0	0	1	4	11	12
14	Himachal Pradesh	0	0	0	1	8	10
15	Jammu & Kashmir	0	0	0	2	4	5
16	Jharkhand	0	0	0	0	1	5
17	Karnataka	6	20	120	178	156	155
18	Kerala	0	3	30	66	57	54
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	0	2	20	27	61	55
21	Maharashtra	1	2	16	35	41	44
22	Manipur	0	0	0	0	2	3
23	Meghalaya	0	0	0	0	1	1
24	Mizoram	0	0	0	0	0	2
25	Nagaland	0	0	0	0	0	0
26	Orissa	0	0	4	7	12	17
27	Pondicherry/Puducherry	0	0	4	7	7	9
28	Punjab	0	2	13	38	36	36
29	Rajasthan	0	0	5	18	25	26
30	Sikkim	0	0	0	0	1	1
31	Tamil Nadu	2	24	44	79	82	84
32	Telangana	–	–	–	–	23	25
33	Tripura	0	0	0	2	2	3
34	Uttar Pradesh	0	0	4	9	20	46
35	Uttarakhand	0	0	2	4	8	11
36	West Bengal	0	2	4	9	14	23
	Grand Total	**10**	**59**	**315**	**577**	**667**	**771**
	Growth in %		**490%**	**433.89%**	**83.17%**	**15.60%**	**15.59%**

13. State-wise Number of Registered Nurses in India

S.No.	STATE	Total No. of Registered Nurses & Auxiliary Nurses in India as on 31.03.2025		
		ANM	RN & RM	LHV
1	Andhra Pradesh****	141140	283811	2480
2	Arunachal Pradesh	8537	10335	364
3	Assam****	31914	33194	461
4	Bihar****	30789	30919	511
5	Chattisgarh****	15229	40376	1352
6	Delhi	6129	105838	0
7	Goa	558	2277	0
8	Gujarat***	57731	151108	0
9	Haryana	33079	46864	694
10	Himachal Pradesh****	7015	32498	500
11	Jammu and Kashmir**	5264	3999	0
12	Jharkhand****	16096	10676	142
13	Karnataka	54039	491123	6840
14	Kerala	32286	362435	8507
15	Madhya Pradesh****	51613	175363	1731
16	Maharashtra****	90059	172978	685
17	Manipur	4865	17147	0
18	Meghalaya	2473	12143	258
19	Mizoram	2865	5878	0
20	Nagaland	2901	3647	0
21	Orissa*	42500	46000	238
22	Punjab	50488	147526	2584
23	Rajasthan #	110443	209554	2732
24	Sikkim	288	3135	0
25	Tamil Nadu	68387	377587	11295
26	Telangana****	14329	81173	0
27	Tripura	3424	10282	148
28	Uttar Pradesh****	106442	177089	2763
29	Uttarakhand****	11544	18111	37
30	West Bengal	72129	99890	12854
Total		**1074556**	**3162956**	**57176**

Source: Respective State Nurses Registration Council;
ANM: Auxiliary Nurse Midwives;
RN & RM: Registered Nurses & Registered Midwives;
LHV: Lady Health Visitors;
NA: Not Available;
Note: # Data upto 31.12.2020, **Data upto 31.12.2021, ***Data upto 31.12.2022, ****Data upto 31.12.2023, *Data till January, 2023.

Year-wise Total Number of Registered* ANM, RN&RM & Lady Health Visitors

Year	RANM	RN&RM	RLHV	Year wise Growth in %		
				RANM	RN&RM	RLHV
2000	411220	775812	35890			
2005	510628	879464	50455	24.17%	13.36%	40.58%
2010	603131	1238874	52963	18.12%	40.87%	4.97`%
2015	821147	1900837	56264	36.15%	53.43%	6.23%
2020	943951	2340501	56854	14.96%	23.13%	1.05%
2024	1074556	3162956	57176	13.84%	35.14%	0.57%

***Source:** Data from State Nurses & Midwives Registration Councils.

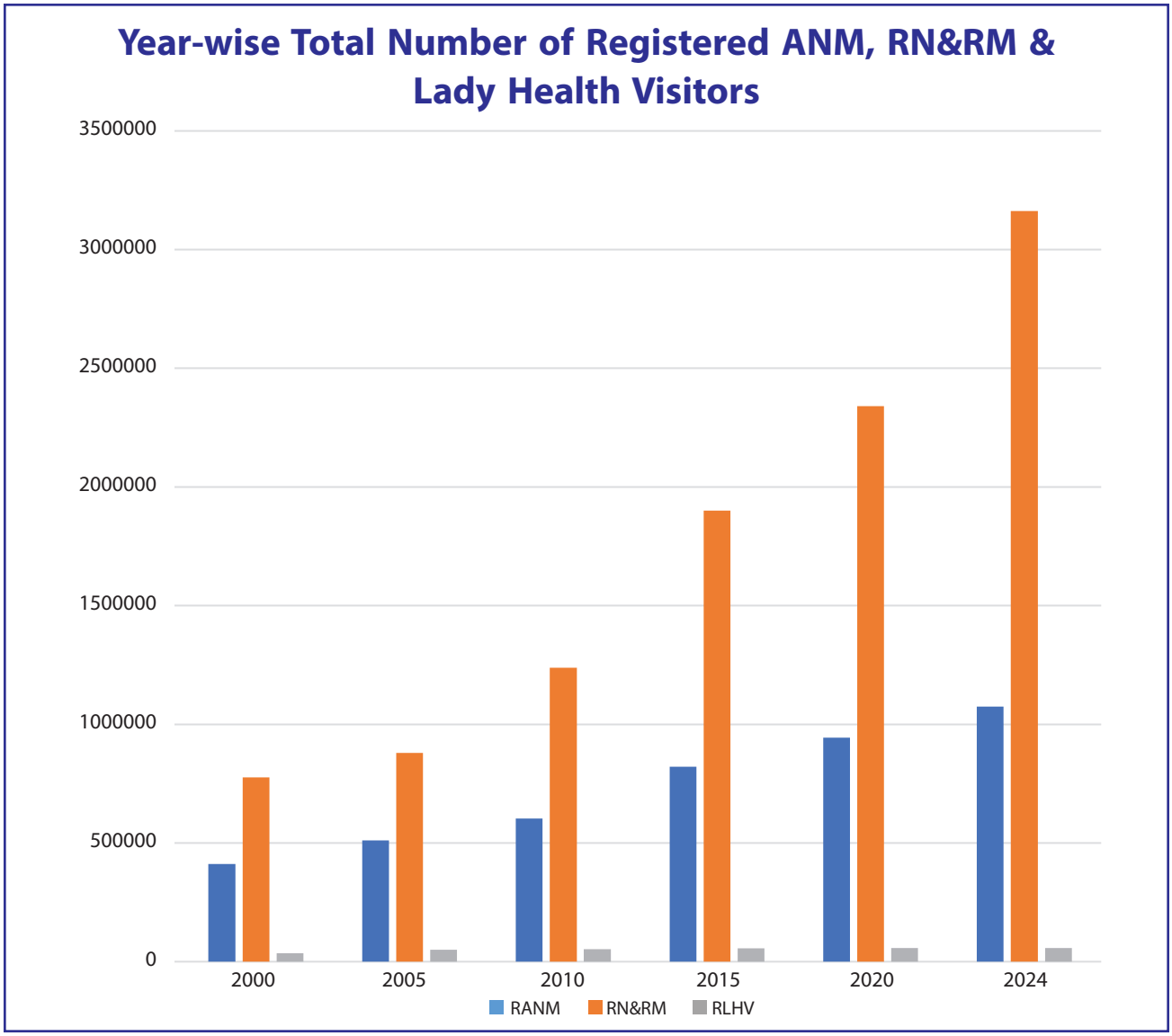

14. National Reference Simulation Centre (NRSC)

NRSC is a state-of-the-art facility established in collaboration with Jhpiego, Laderal and SGT University to improve the quality of Nursing Education.

1058 faculty have been trained in Master Training program in Simulation to increase level of competencies of individual skills, decision making and managing cases with simulation scenarios.

756 Nursing personal have been trained in Midwifery Simulation Training skills for standardization & simulation-based education and selected midwifery skills.

15. National Consortium for Ph.D. in Nursing

Indian Nursing Council in collaboration with Rajiv Gandhi University of Health Sciences conducts Ph.D. Nursing Program under the aegis of National Consortium for Ph.D. in Nursing.

Total Number of Students awarded doctorate degree = 199

Total Number of students enrolled up to 31st March 2025 = 503

16. Leadership for Change (LFC)

The "Leadership for Change" (LFC) program is a brand leadership program by International Council of Nurses (ICN) & funded in partnership with World Health Organization (WHO), Global Fund etc. LFC was established in 1995 and has been implemented in more than 70 Countries and aims to prepare senior level nurses to gain better understanding of organizational, regional & Country level health challenges & improve their own personal leadership style to improve health care services.

World Health Organization has released the State of World Nursing Report and State of World Midwifery report which quantifies key indicators related to status of Nursing & Midwifery workforce around the World. Nursing leadership has been given a key priority in the Strategic Direction for Nursing & Midwifery report released by WHO in the year 2021. All these reports focus on investment, creation of jobs, leadership and service delivery. WHO also stated that focusing on these four strategic areas will help nurses & midwifes contribute to achieving universal health coverage.

Indian Nursing Council with the aim to meet one strategic area listed under this important WHO documents for nurses, has planned to launch key leadership program "Leadership for Change" (LFC) in India through virtual mode in Dec, 2021 in collaboration with International Council of Nurses. This training program has two cohorts of 21 participants in each batch and is completely free of cost to participants.

This program focused on cultivating the leadership skills of mid to senior level nurses and midwife managers who are in a position to affect organizational change in order to improve services, practice patterns or the workplace environment.

Indian Nursing Council sponsored two COHORTs with total 42 participants and it concluded on 08th December, 2023.

Mrs. Hekali Zhimomi (IAS), Additional Secretary (Medical Education), Ministry of Health & Family Welfare (MoH&FW), Government of India, presented the graduate certificate to 40 successful candidates sent by ICN.

17. Orientation Workshop for Ad-hoc Inspectors

Ad-hoc inspectors are empaneled based on approval of Executive Committee as per the regulation 57(2) of Indian Nursing Council Regulation prescribed under Section 16 of Indian Nursing Council Act, 1947. Empaneled ad-hoc inspectors are oriented on conduct of inspection and ethics while conduct of inspection. 87 Nursing faculty are trained/oriented on conduct of Inspection under Section 13 of Indian Nursing Council Act, 1947.

18. INC Website www.indiannursingcouncil.org is dynamic.

19. Various Gazette Notifications & Circulars related to Nursing Education are placed on website:
    - M.Sc. in Forensic Nursing Program
    - Nurses Practitioner in Geriatric Nursing (NPGN) – Post Graduate Residency Program
    - Nurses Practitioner in Transplant Nursing (NPTN) – Post Graduate Residency Program
    - Nurse Practitioner in Family Health (NPFH) – Post Graduate Residency Program
    - Nurse Practitioner in Neonatal Nursing (NPNeoN) – Post Graduate Residency Program
    - Nurse Practitioner in Anesthesia (NPA) – Post Graduate Residency Program
    - Nurse Practitioner in Nephrology Nursing (NPNepN) – Post Graduate Residency Program
    - Nurse Practitioner in Peadiatric (NPPN) – Post Graduate Residency Program
    - PBD in Cardiothoracic Specialty Nursing – Residency Program
    - PBD in Emergency & Specialty Nursing – Residency Program
    - PBD in Palliative Care Specialty Nursing – Residency Program

20. Various E-Learning Modules on CNE for in-service Nurses are being uploaded. The following module has been added:
    - Gestational Diabetes Mellitus
    - Antenatal Care

21. E-office & E-application has been developed in house and has been successfully functioning and all the letters are dispatched through E-mail/respective applications only.

22. Live Register of Nurses

To achieve a Live Register of Nurses, Indian Nursing Council has initiated the Nurses Registration and Tracking System (NRTS). NRTS is a fully computerized interactive software system launched in 2016-17. The enrolment of nurses who are already registered with State Nursing Councils in NRTS based on Aadhar Authentication steadily progressed during the year and also the new nurses who are passing out from Colleges/Institutions/ Schools will be enrolled into the NRTS as a part of Primary Registration of the State Nursing Councils (SNCs). In this regard all the SNCs have been brought on to the NRTS platform.

Primary Registration and Reciprocal Registration have been started in Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Telangana, Tripura & Uttarakhand State Nursing Councils and **the enrolment of Registered Nurses has reached 13,20,926 till 31st March, 2025.**

23. M.Sc. in Forensic Nursing Program (Gazette Notification No. 844 dated 21st October, 2024)

The M.Sc. in Forensic Nursing Program prepares registered B.Sc. Nurses to assume responsibilities as forensic nurse specialist, expert consultant, educator and administrator in a variety of forensic care settings. Forensic nursing practice is concerned primarily with individuals and populations affected by violence and trauma, their families, communities and the systems that respond to them. Forensic nurses will be able to practice in the areas of sexual assault, domestic violence, child abuse and neglect, elder mistreatment, death investigation, corrections and in the aftermath of mass disaster. They can practice in various settings such as hospitals, community, anti-violence programs, medical examiners' rooms, corrections institutions, and psychiatric hospitals. They also may be called on in mass disaster or community crisis situations.

24. Nurses Practitioner in Geriatric Nursing (NPGN) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 842 dated 21st October, 2024)

The Nurses Practitioner in Geriatric Nursing (NPGN) – Residency Program is intended to prepare registered B.Sc. nurses to provide advanced Nursing care to older patients in hospital and community settings. The nursing care is focused on stabilizing patients' condition, minimizing acute complications and maximizing restoration of health. The practice settings for NPGN include hospital outpatient clinics and in-patient facilities and long-term care facilities and they focus mainly on primary and secondary care. These NPs are required to practice in geriatric care units of tertiary care centres too. The NPGN would be equipped to diagnose, treat and manage chronic and acute conditions and geriatric symptoms associated with ageing and provide therapeutic interventions or, at times, palliative treatments and end of life care. They receive advanced education to provide services that address the health issues that impact older adults, as well as on the resultant cognitive, physical, psychological and social impairments.

25. Nurses Practitioner in Transplant Nursing (NPTN) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 843 dated 21st October, 2024)

The Nurse Practitioner in Transplant Nursing (NPTN) – Residency Program is intended to prepare registered B.Sc. Nurses to provide advanced nursing care to organ donors and recipients. The nursing care is focused on stabilizing patients' condition, preventing acute complications and maximizing restoration of health. These NPs are required to practice in the transplant care units. The program consists of various courses of study that are based on strong scientific foundations including evidenced based practice and the management of complex health systems. These are built upon the theoretical and practice competencies of B.Sc. trained nurses.

26. Nurses Practitioner in Family Health (NPFH) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 1081 dated 27th December, 2024)

The Nurse Practitioner in Family Health (NPFH) – Residency Program is intended to prepare registered B.Sc. Nurses to provide advanced nursing care to patients who are acutely and

chronically ill, using family centred approach. The nursing care is focused on stabilizing patients' condition, minimizing complications and maximizing restoration of health. These Nurse Practitioners in Family Health are required to practice in primary or secondary health care settings. The program consists of various courses of study that are based on strong scientific foundations including evidenced based practice and the management of complex health systems. These are built upon the theoretical and practice competencies of B.Sc. trained nurses.

27. Nurses Practitioner in Neonatal Nursing (NPNeoN) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 1082 dated 27th December, 2024)

The Nurse Practitioner in Neonatal Nursing (NPNeoN) – Residency Program is intended to prepare registered B.Sc. Nurses to provide advanced nursing care to neonates who are critically ill. The nursing care is focused on stabilizing neonate's condition, minimizing acute complications and maximizing optimal neuro developmental outcomes.

28. Nurses Practitioner in Anesthesia (NPA) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 50 dated 17th January, 2025)

The Nurse Practitioner in Anesthesia (NPA) – Residency Program prepares registered B.Sc. nurses for advanced practice roles as clinical experts, educators and consultants leading to M.Sc. Nursing (Nurse Practitioner in Anesthesia). The program consists of various courses of study that are based on strong scientific foundations including evidenced based practice and management of complex health systems. These are built upon theoretical and practice competencies of B.Sc. Nursing.

29. Nurses Practitioner in Nephrology Nursing (NPNepN) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 51 dated 17th January, 2025)

The Nurse Practitioner in Nephrology Nursing (NPNepN) – Residency program is intended to prepare registered B.Sc. Nurses to provide advanced nursing care to patients at tertiary care centres who have kidney diseases. A Nurse Practitioner in Nephrology Nursing (NPNepN) provides primary care to patients with acute or chronic kidney/urologic disorders, those undergoing dialysis, and those who are candidates for or have undergone kidney transplants.

30. Nurses Practitioner in Pediatric Nursing (NPPN) – Post Graduate Residency Program (Gazette Notification No. 84 dated 30th January, 2025)

The Nurse Practitioner in Pediatric Nursing (NPPN) – Residency Program is intended to prepare registered B.Sc. Nurses to provide advanced nursing care to children in Pediatric OPDs, Pediatric wards, Emergency units/PICUs, Community Health Centres and District Hospital settings. Nurse Practitioners are required to practice both in the community and clinical care settings such as Pediatric OPDs, Pediatric wards, Community Health Centres and District Hospitals. Nursing care is focused on in-depth assessment of children, stabilization of the child in acute conditions, performing basic investigations, diagnosis of the condition

in consultation with doctors, and therapeutic management of the child minimizing acute complications and maximizing restoration of health.

31. Post Basic Diploma in Cardiothoracic Specialty Nursing – Residency Program (Gazette Notification No. 839 dated 21st October, 2024)

The Post Basic Diploma in Cardiothoracic Specialty Nursing – Residency Program is a one-year residency program and its curriculum is conceptualized encompassing short foundational courses and major specialty courses for specialty nursing practice. The program is designed to prepare nurses with specialized skills, knowledge and attitude in providing quality care to patients with cardiothoracic disorders. It further aims to prepare technically qualified and trained specialist nurses who will function effectively and optimally at cardiothoracic centres of tertiary/quaternary hospitals providing high standards of care.

32. Post Basic Diploma in Emergency & Specialty Nursing – Residency Program (Gazette Notification No. 840 dated 21st October, 2024)

The Post Basic Diploma in Emergency and Disaster Specialty Nursing education is a one-year residency program and its curriculum is conceptualized encompassing foundational short courses and major specialty courses for specialty nursing practice. The Program is designed to prepare nurses with specialized skills, knowledge and attitude in providing quality care to patients in Emergency and Disaster situations. It further aims to prepare technically qualified and trained specialist nurses who will function effectively and optimally at Emergency centres of Tertiary/Quaternary hospitals providing high standards of care.

33. Post Basic Diploma in Palliative Care Specialty Nursing – Residency Program (Gazette Notification No. 841 dated 21st October, 2024)

The Post Basic Diploma in Palliative Care Specialty Nursing – Residency Program is designed to prepare registered nurses both diploma and B.Sc. to acquire comprehensive knowledge, advanced skills and positive attitude in palliative care nursing which will enable nurses to deliver safe, competent, legal and ethical nursing care to patients requiring palliative care. Further, it is designed to equip nurses with managerial skills and knowledge that will enable them to take up roles in planning, managing, and supervising palliative care of patients and train other clinical nurses and students in various palliative care settings. The palliative care specialist nurse will be able to advise on planning and setting up of palliative care units and improve the care and comfort of the death and dying.

34. MOU between Academy of Digital Health Sciences (ADHS) and Indian Nursing Council (INC) on 28th August 2024

This Memorandum expresses a mutual desire by the Academy of Digital Health Science and Indian Nursing Council to cooperate in building digital skills, up skilling healthcare workers and professionals, and enhancing research capacity and scholarship.

Further in this MOU, Indian Nursing Council has agreed with Academy of Digital Health Science and the IIM Raipur, to jointly offers Professional Development program in Digital Health for Nurses. This is an online 6 months self-paced program with 15+ modules to develop digital health expertise that will enhance nurses' professional capabilities and contribute to the overall efficiency, effectiveness and quality of health care.

35. Updates on Meetings/Workshops conducted by INC

- **National Florence Nightingale Award 2024:** National Florence Nightingale Award (NFNA) was instituted as a mark of recognition to the meritorious services of Nurses since 1973 by MoH&FW, Government of India. Indian Nursing Council on behalf of Government of India from 2018 is conducting the selection and organizes award ceremony. Award ceremony 2024 was conducted on 11.09.2024. 15 (Fifteen) nursing personal received highest meritorious awards by Her Excellency President of India.
- **Workshop on Nurses Registration and Tracking System (NRTS):** One day training on primary registration module to the Registrars and office staff of Rajasthan, Telangana & Jammu and Kashmir State was provided to each state separately.

36. In collaboration with QCI under INC-QCI memorandum of understanding (MoU) pilot testing of framework for the assessment and rating of Nursing Educational Institutions for quality improvement was conducted for the following institutions:-
    i) Maharishi Markandeshwar College of Nursing
    ii) Charnock Healthcare Institute
    iii) Manipal College of Nursing

37. Developed ANM to GNM - Two year bridge program

The ANMs who were trained for the work in the community can upgrade their knowledge, attitude, competencies and skills through the Council's two year program in curricular and practice standards and are prepared to work in all the healthcare settings. They will also be able to demonstrate quality nursing and midwifery aligned with national and international standards.

The above bridge program creates a career path for ANM's to upgrade their education and qualify as a GNM. This will enable them to learn and move higher to be graduates and postgraduates in Nursing.

38. Recognition of State, Private/Deemed University

The total 18 (Eighteen) number of Pvt./Deemed universities are recognized by the Indian Nursing Council under Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 to conduct the examination and for inclusion in the Indian Nursing Council Act, 1947 Schedule Part II as an examination authority for the Collegiate nursing programs during 2024-2025 financial period.

39. Indian Nursing Council resolved that the maximum number of seats can be sanctioned for GNM and B.Sc. Nursing programs based on the following Parent Hospital beds:-

S.No.	Parent Hospital Beds	Institutions offering both Programs		Institution offering only B.Sc. Nursing seats
1.	100	60	60	60
2.	200	60	80	140
3.	300	100	100	200
4.	500	100	150	250
5.	750 and above	100	200	300

40. 07 (Seven) Universities Ph.D. Nursing qualification has been recognised by Indian Nursing Council under section 10 of INC Act, 1947.

41. Indian Nursing Council has signed an MoU with the University of Houston in order to promote more evidence-based Nursing Practice. In pursuance of this, DNP program is piloted in MGM University, Mumbai & Krishna Vishwa Vidyapeeth, deemed to be University.

Activities Planned for the Year 2025-2026

1. Inspections of 500 Institutions under Section 13 & 14 to ensure maintenance of minimum standards prescribed by Indian Nursing Council.
2. Organizing Meetings of Executive Committee/Nursing Education Committee/General Body of Indian Nursing Council for the purpose of the Act.
3. Annual meetings of Registrars of State Nursing Councils.
4. Implementation of Primary Registration under NRTS (Live Register) in all States.
5. Development of modules for GNMs who have acquired additional qualification of Post Basic Diploma Program (Clinical Specialist) to obtain the degree program qualifications.

6. Development of six months training program for B.Sc. Nursing candidates who have completed NPM successfully after which these candidates will be getting the degree of post-graduation program in Nurse Practitioner in Midwifery equivalent to Post Graduate in Nursing.
7. Orientation of Ad-hoc Inspectors.
8. Faculty Training through Simulation.
9. Roll out of LFC program at PAN India level.
10. ANM to GNM - Two-Year Bridge Program to be gazetted.
11. Revised Guidelines for Starting Ph.D. in Nursing Program in the Universities approved by the Council to be gazetted.

Our Publications

S.No.	NAME OF THE PRICED SYLLABI
1	ANM Syllabus
2	GNM Syllabus 3 years (Revised 2015)
3	B.Sc. Nursing Syllabus (2020)
4	Mandatory Modules
5	P.B.B.Sc. Nursing Syllabus
6	Post Basic Diploma in Burns and Reconstructive Surgery Specialty Nursing
7	Post Basic Diploma in Cardio-Thoracic Nursing
8	Post Basic Diploma in Critical Care Nursing
9	Post Basic Diploma in Emergency and Disaster Nursing
10	Post Basic Diploma in Forensic Nursing
11	Post Basic Diploma in Gerontological Nursing
12	Post Basic Diploma in Hematology Nursing
13	Post Basic Diploma in Neonatal Nursing
14	Post Basic Diploma in Neuroscience Nursing

S.No.	NAME OF THE PRICED SYLLABI
15	Post Basic Diploma in Nurse Practitioner in Midwifery
16	Post Basic Diploma in Oncology Nursing
17	Post Basic Diploma in Operation Room Nursing
18	Post Basic Diploma in Orthopaedics & Rehabilitation Nursing
19	Post Basic Diploma in Psychiatric/Mental Health Nursing
20	Nurses Practitioner in Critical Care PG Residency Program (Syllabus & Regulation)
21	Nurses Practitioner in Critical Care PG Residency Program (Guidebook for NPCC Curriculum)
S.No.	**NAME OF OTHER PRICED PUBLICATIONS**
1	Clinical Assignment – Guideline
2	Code of Ethics & Professional Conduct
3	Indian Nursing Council Act, 1947
4	Indian Nursing Council Regulations
5	Laboratory Equipments & Articles (including skill lab article)
6	Practical Record Book
7	Teaching Material for Quality Assurance Model Nursing
8	Practice Standards for Psychiatric-Mental Health Nursing
9	Practice Standards for Critical Care (INC_PSCCNP)